छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

(2006–2007)

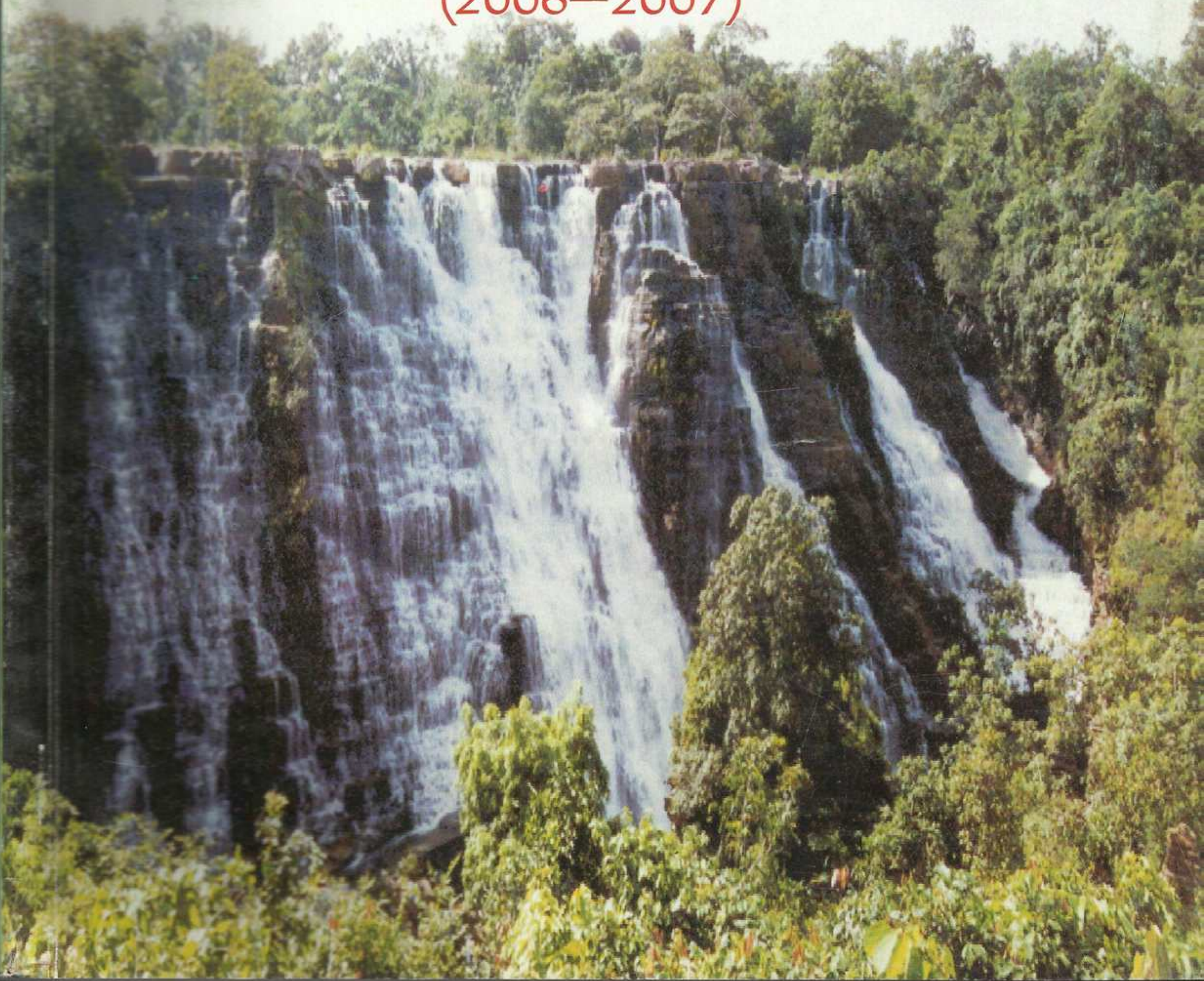

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

(2006—2007)

छ.ग., रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम	वन विभाग
मंत्री	श्री बृजमोहन अग्रवाल

सचिवालय

प्रमुख सचिव	श्री सरजियस मिंज
सचिव	श्री आर.के. टम्टा
विशेष सचिव	श्री ए.के. भट्ट
अतिरिक्त सचिव	श्री टी.सी. महावर
अवर सचिव	श्री बी.एल. अहिरवार

विभागाध्यक्ष / प्रबंध संचालक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक	श्री आर.एन. मिश्रा
प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	श्री आर.के. शर्मा
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ	श्री ए.के. सिंह

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय की जानकारी	
	भाग - एक	
2.	विभागीय संरचना / अधीनस्थ कार्यालय	1
3.	विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	9
4.	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित	9
5.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम	13
6.	छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड	24
7.	विभाग के दायित्व	34
8.	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी / सामान्य या प्रमुख विशेषताएं / महत्वपूर्ण सांख्यिकी	34
9.	सामान्य परिदृश्य	34
10.	छत्तीसगढ़ में वनों की प्रासंगिकता	35
11.	छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति - 2001	37
12.	मानव संसाधन विकास	38
13.	विकास योजनाएँ	42
14.	संयुक्त वन प्रबंधन	55
15.	वन संरक्षण	66
16.	भू-सर्वे एवं वन संरक्षण अधिनियम	69
17.	कार्य आयोजना	72
18.	परियोजना निर्माण एवं अनुसंधान विस्तार	74
19.	वन्यप्राणी संरक्षण	76
20.	उत्पादन	86
	भाग - दो	
21.	बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	89
22.	बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	90
	भाग - तीन	
23.	राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	97
	भाग - चार	
24.	सामान्य प्रशासनिक विषय	99
	भाग - पाँच	
25.	अभिनव योजना	101
	भाग - छः	
26.	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	103
	भाग - सात	
27.	सारांश	104

भाग — 1

1.1 विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

1.1.1. वन विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्यो का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से होता है। मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार है :—

1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	विभागाध्यक्ष	श्री आर.एन.मिश्रा
2.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	1. विकास/योजना	श्री धीरेन्द्र शर्मा
		2. प्रशा. राज./सम.	श्री एन.के.भगत
		3. वन्यप्राणी	श्री राम प्रकाश
3.	मुख्य वन संरक्षक	1. संरक्षण	श्री व्ही. एस. सिलेकर
		2. भू—सर्वे	डॉ. अनूप भल्ला
		3. अनुसंधान एवं विस्तार	श्री बी. एन. द्विवेदी
		4. वित्त/बजट	डॉ.जे.के.उपाध्याय
		5. सतर्कता/शिकायत	श्री दिवाकर मिश्रा
		6. कार्य आयोजना	डॉ. एन. सी. पंत
		7. उत्पादन	श्री बी. के. सिन्हा
		8. प्रशा. अराज	श्री प्रताप सिंह
		9. संयुक्त वन प्रबंधन	श्री एम. के. सिंह
		10. परियोजना निर्माण	श्री.एस.सी. अग्रवाल
4.	वन संरक्षक	1. वन्यप्राणी/सतर्कता/ शिकायत/ जनसूचना अधिकारी	श्री एच.सी.तिवारी
		2. प्रशा. अराज./संरक्षण	डॉ. बी.पी.नोन्हारे
		3. प्रशासन/ राज	श्रीमती शोभा सुब्रमणियम्
		4. विकास/योजना	श्री के. मुर्गन
		5. समन्वय	श्री जयसिंह म्हस्के
		6. संयुक्त वन प्रबंधन	श्री यूनुस अली
		7. उत्पादन	श्री बी. रामाराव
5.	उप वन संरक्षक	1. भू— सर्वे	श्री ए. के. बिश्वास
		2. उप वन सरंक्षक, कार्या. प्र.मु.व.सं.	श्री ओ. पी. यादव
		3. कार्य आयोजना/प्रभारी व.म.अ. अनु./वि., वनमंडल रायपुर	श्री जे. पी. चंद्रकार

1.1.2. वर्तमान में वन विभाग में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों का विवरण

क्र.	पद प्रवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्
1	2	3	4	5
1	भा.व.से. अधिकारी	131	115	16
2	रा.व.से. अधिकारी (रा.ल.व.संघ के स्वीकृत 39 पद सम्मिलित करते हुए)	142+39=181	128+14=142	14+2
3	लेखा अधिकारी	3	1	2
4	प्रशासकीय अधिकारी	1	–	1
5	स्टाफ आफिसर	1	1	–
6	संचालक बजट (प्रतिनियुक्ति पर)	1	1	–
7	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	3	–	3
8	सहायक संचालक जन संपर्क अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	1	–	1
9	आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	1	–	1
10	सांख्यिकी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर)	2	–	2
	योग	***325***	***260***	***65***

1.1.3 क्षेत्रीय प्रशासनिक ईकाईयॉ निम्नानुसार है :–

इकाई का नाम	***इकाई की संख्या***
क्षेत्रीय वन वृत्त	6
टाईगर प्रोजेक्ट	1
कार्य आयोजना वृत्त	1
क्षेत्रीय वनमंडल	32
कार्य आयोजना वनमंडल	6
अनुसंधान विस्तार वनमंडल	03
सूचना प्रौद्योगिकी मंडल	01
राष्ट्रीय उद्यान	03
वन्य प्राणी अभ्यारण्य	11
वनपाल विद्यालय	01
वनरक्षक विद्यालय	02
उप वनमंडल	74
परिक्षेत्र	280
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	876
बीट	3810

1.1.4. वर्तमान में कार्यरत विभिन्न स्तर के कार्यपालिक/लिपिकीय अमले का विवरण निम्नानुसार है :

अनु. क्र.	पदनाम	मुख्यालयीन अमला			मैदानी अमला		
		मुख्यालय में स्वीकृत पद	मुख्यालय में कार्यरत पद	मुख्यालय में रिक्त पद	शासनादेश दि. 20.03.03 द्वारा स्वीकृत फील्ड सेटअप	क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत	क्षेत्रीय स्तर पर रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	02	1	01	-	-	-
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04	3	01	-	-	-
3	मुख्य वन संरक्षक	12	9	03	-	-	-
4	वन संरक्षक	08	07	01	8	8	0
5	उप वन संरक्षक	07	03	04	46	39	7
6	सहायक वन संरक्षक	6	6	0	136	119	17
7	वनक्षेत्रपाल	4	01	03	326	300	26
8	उप वन वनक्षेत्रपाल	0	0	0	525	503	22
9	वनपाल/ सर्वेयर/ सहायक वन विस्तार अधिकारी	0	0	0	1343	1185	158
10	वनरक्षक/वनसेवक/गोदाम/ कीपर/ चैनमैन/ गेमगार्ड /मैकेनिक/ बेरियर गार्ड	0	0	0	5429	5086	343
11	कार्यालय अधीक्षक	5	5	0	7	6	1
12	मुख्य लिपिक / लेखा अधीक्षक	34	22	12	58	53	5
13	लेखापाल / सहायक गेड– II	48	43	5	504	471	33
14	सहायक ग्रेड– III	52	36	16	681	560	121
15	स्टनोग्राफर I	3	2	1	0	4	(+) 4
16	स्टनोग्राफर II	15	10	5	14	15	(+) 1
17	स्टनोग्राफर III	15	2	13	45	15	30
18	मानचित्रकार	7	3	4	89	47	42
19	भृत्य / चौकीदार/ अर्दली/ फर्राश/ माली / खानसामा	25	12	13	430	440	+10
20	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	389	140	249
21	स्वीपर (जिलाध्यक्ष दर पर)	5	0	5	54	42	12

अनु. क्र.	पदनाम	मुख्यालयीन अमला			मैदानी अमला		
		मुख्यालय में स्वीकृत पद	मुख्यालय में कार्यरत पद	मुख्यालय में रिक्त पद	शासनादेश दि. 20.03.03 द्वारा स्वीकृत फील्ड सेटअप	क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत	क्षेत्रीय स्तर पर रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
22	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा पर)	2	0	2	7	0	7
23	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर)	10	0	10	93	7	86
24	हल्के वाहन चालक	25	5	20	135	109	26
25	भारी वाहन चालक	0	0	0	132	114	18
26	कोटवार	0	0	0	85	269	(+) 184
27	ट्रक एवं ट्रेक्टर क्लीनर	0	0	0	35	10	25
28	ट्रक एवं ट्रेक्टर क्लीनर (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	123	26	97
29	स्टेनो टायपिस्ट	0	0	0	0	5	(+) 5
30	दफ्तरी/ सुपरवाईजर/ जमादार	8	7	1	0	17	(+) 17
31	खलासी	0	0	0	0	3	(+) 3
32	माली	0	0	0	0	10	(+) 10
33	डाक रनर	0	0	0	0	2	(+) 2
34	सहायक उप निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति पर)	-	-	-	7	0	7
35	पुलिस कांस्टेबल (प्रतिनियुक्ति पर)	-	-	-	28	0	28
	ज्वजंस	297	177	120	10729	9605	1124

	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी	रिक्त पद
मुख्यालय	297	177	120
क्षेत्रीय	10729	9605	1124
योग	11026	9782	1244

क्षेत्रीय स्तर पर वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु मूल स्तर पर प्रशासनिक इकाई –बीट इसके उपर क्रमशः परिक्षेत्र सहायक वृत्त (रेंज असिस्टेन्ट सर्किल) परिक्षेत्र (रेंज) उप वन मंडल (सब –डिवीजन) वनमंडल (डिवीजन) तथा वन संरक्षक वृत्त (सर्किल) है ।

उपरोक्त क्षेत्रीय इकाईयों के अलावा विशिष्ट कार्यो जैसे – वन्यप्राणी प्रबंधन, सामाजिक वानिकी एवं अनुसंधान / विस्तार, कार्य आयोजना एवं प्रशिक्षण हेतु पृथक संरचना है ।

वर्ष2003 की स्थिति में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति आदेश संबंधी अद्यतन जानकारी

क्र.	पदनाम	बैकलॉग			सीधी भर्ती से नियुक्ति			शेष रिक्त पद
		अ.जा	अ.ज.जा	योग	अ.जा	अ.ज.जा	योग	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*7*	*8*	*9*
1.	सहायक ग्रेड –3	36	186	222	34	104	138	84
2.	शीघ्र लेखक	1	9	10	0	4	04	6
3.	मानचित्रकार	1	5	6	1	6	7	+1
4.	जीप चालक	8	45	53	4	15	19	34
5.	भारी वाहन चालक	8	37	45	3	10	13	32
6.	अर्दली भृत्य	24	97	121	13	48	61	60
7.	वनरक्षक	139	832	971	140	768	908	63
8.	ट्रक/ ट्रैक्टरक्लीनर	0	4	4	0	2	2	2
9.	स. व. सं.	1	0	1	0	0	0	1
10.	वनक्षेत्रपाल	2	0	2	0	0	0	2
योग :–		**220**	**1215**	**1435**	**195**	**957**	**1152**	**283**

वन विभाग की क्षेत्रीय ईकाईयाँ

वन वृत्त	वन संरक्षक रायपुर	वन संरक्षक , दुर्ग	वन संरक्षक, बिलासपुर	वन संरक्षक, सरगुजा	वन संरक्षक, कांकेर	वन संरक्षक, जगदलपुर
वनमण्डल	रायपुर	दुर्ग	बिलासपुर	पूर्व सरगुजा	कांकेर	बस्तर
	पूर्व रायपुर	कवर्धा	मरवाही	उत्तर सरगुजा	दक्षिण कोण्डागांव	बीजापुर
	उदंती	राजनांदगांव	कोरबा	दक्षिण सरगुजा	उत्तर कोण्डागांव	सुकमा
	महासमुंद	खैरागढ़	रायगढ़	कोरिया	पूर्व भानुप्रतापपुर	दंतेवाड़ा
	धमतरी		कटघोरा	जशपुर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	अनुसंधान एवं विस्तार जगदलपुर
	अनुसंधान एवं विस्तार रायपुर वनमण्डल		धरमजयगढ़	मनेन्द्रगढ़	नारायणपुर	
			जांजगीर चांपा			
			अनुसंधान एवं विस्तार व. मं. बिलासपुर			

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय ईकाईयां

मुख्यालय

वन संरक्षक (वन्य प्राणी)

क्षेत्रीय ईकाईयां

राष्ट्रीय उद्यान

संचालक, इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान

संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान

संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

वन्य प्राणी अभ्यारण्य

अधीक्षक, अचानकमार अभ्यारण्य

अधीक्षक, बादलखोल अभ्यारण्य

अधीक्षक, गोमार्डा

अधीक्षक, बारनवापारा

अधीक्षक, उदंती

अधीक्षक, सीतानदी

अधीक्षक, तैमोरपिंगला

अधीक्षक, सेमरसोत

अधीक्षक,भैरमगढ़

अधीक्षक, पामेड़

अधीक्षक, भोरमदेव

बायोस्फियर रिजर्व

संचालक, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व

राज्य लघु वनोपज संघ (विकास एवं व्यापार) सहकारी संघ मर्यादित के मुख्यालय की संरचना

पदनाम	मुख्यालय में पद	वृत्त स्तरीय ईकाईयां	जिला यूनियन
प्रबंध संचालक	1	—	—
कार्यकारी संचालक	1	—	—
महाप्रबंधक	1	—	—
उप वन संरक्षक	2	—	—
सचिव, (संयुक्त पंजीयक)	1	—	—
प्रबंधक (वित्त /उप पंजीयक)	1	—	—
उप संचालक, आंतरिक लेखा परीक्षण	1	—	—
उप प्रबंधक (सहायक वन संरक्षक)	2	06	31
वन क्षेत्रपाल	1	—	—
स्टॉफ ऑफिसर	1	—	—

राज्य वन विकास निगम की संरचना

पदनाम	पदसंख्या
प्रबंध संचालक	1
कार्यपालन निदेशक	1
क्षेत्रीय महाप्रबंधक /वन संरक्षक	2
क्षेत्रीय प्रबंधक /उप वन संरक्षक	7

1.2 विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल / उपक्रम / संस्थाओं का विवरण

1.2.1 छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

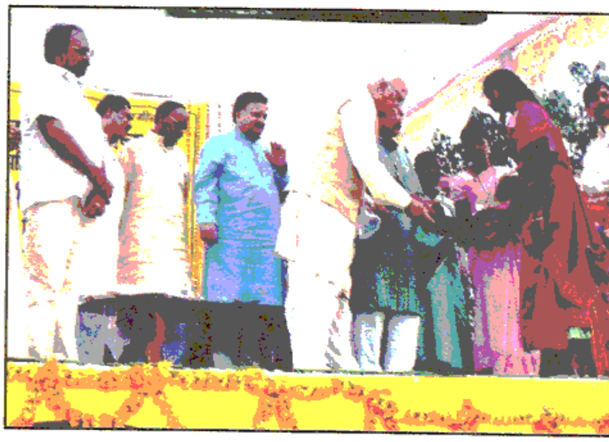

प्रदेश में आदिवासी एवं गरीब लोगों के जीविकोपार्जन के लिए लघु वनोपज संग्रहण एक महत्वपूर्ण माध्यम है । इस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 30/10/2000 को किया गया है । वनोपज संघ द्वारा मुख्य रूप से विनिर्दिष्ट वनोपज जैसे – तेंदूपत्ता, सालबीज, हर्रा, गोंद (कुल्लू, खैर, बबूल एवं धावड़ा) का संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है ।

वर्ष 2004 में तैयार की गई नवीन तेन्दूपत्ता नीति के अंतर्गत समितियों द्वारा संग्रहित किये गये हरे तेन्दूपत्ते को अग्रिम में नियुक्त केता को फड़ पर ही प्रदाय किया जाता है । इसके उपरांत तेन्दूपत्ते का उपचारण, परिवहन एवं भंडारण उक्त केता द्वारा ही किया जाता है । प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियेां के द्वारा तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं संग्राहकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है । प्रदेश में तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से शाखकर्तन का कार्य अग्रिम में नियुक्त केताओं द्वारा ही किया जाता है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2006 में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में तेन्दूपत्ता संग्रहित नहीं किया गया । इस प्रकार प्रदेश में 897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा कराया गया । तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 450/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अच्छी गुणवत्ता का 14.72 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया । अग्रिम में नियुक्त केताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 14.42 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया । अग्रिम विक्रय में 14.42 लाख मानक बोरा रू. 135.90 करोड़ में निर्वर्तित किया गया एवं

औसत दर रू. 942/— प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । शेष लाट, जिनका अग्रिम विक्रय नहीं हो सका, में संग्रहित 0.30 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का उपचारण समितियों के माध्यम से कराया जाकर भंडारण कराया गया । अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित 0.30 लाख मानक बोरा में से 4.12 करोड़ में हुआ तथा औसत विक्रय मूल्य रूपये 1393/— प्रति मानक बोरा रहा ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2007 में लगभग 17.95 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । 31.01.2006 तक एक निविदा में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को 10.73 लाख मानक बोरा रू. 191.60 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 1786/— प्रति मानक बोरा है । दिनांक 31.01.2006 की स्थिति में 7.22 लाख मानक बोरा अग्रिम विक्रय से शेष है । दिनांक 01.02.2007 का अवशेष तेन्दूपत्ते के विक्रय हेतु तृतीय चक्र की निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में कुल रू. 89.77 करोड़ की संग्रहण मजदूरी के वितरण का अनुमान है । वर्ष 2007 के लिये तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर में वृद्धि कर रू. 500/— प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई ।

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 70 प्रतिशत राशि संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जाती है । संग्रहण वर्ष 2004 के तेंदूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ में से रू. 25.37 करोड़ एवं संग्रहण वर्ष 2005 के तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ में से रू. 25.26 करोड़ के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1999+2000, 2001, 2002, 2003 एवं 2004 के तेन्दूपत्ता व्यापार के लाभ से रू. 39.55 करोड़ की राशि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए उपलब्ध हुई, जिसमें से 31.12.2006 तक रूपये 25.97 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रस्ताव अनुसार स्वीकृत किये गए तथा रूपये 23.52 करोड़ के कार्य किए जा चुके हैं ।

वर्ष 2006 में 0.48 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ तथा रूपये 1.68 करोड़ संग्राहकों में वितरित किये गये । इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़

शासन की ओर से रू. 1.50 प्रति किलो ग्राम की दर से बोनस भी संग्राहकों को दिया गया ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त अर्थात 12.63 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को इच्छानुसार एक जोड़ी चरणपादुका महिला या पुरूष सदस्य को गत वर्ष की भांति प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है ।अच्छी गुणवत्ता की चरणपादुका क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है ।

वनोपज संघ द्वारा अपने तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिये निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना लागू की गई है । जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2005–2006 में कुल 18,514 प्रकरणों में रूपये 8.63 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

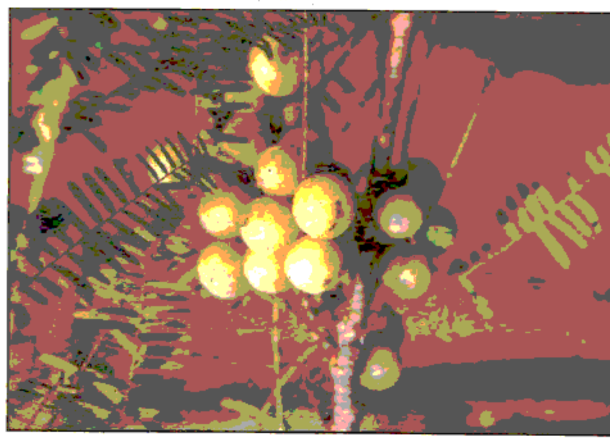

तेन्दूपत्ता के अतिरिक्त प्रदेश में विनिर्दिष्ट वनोपज जैसे हर्रा, गोंद वर्ग –1 कुल्लू एवं गोंद वर्ग –2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की इकाईयों के अग्रिम निर्वर्तन/संग्रहण उपरांत विक्रय की कार्यवाही की जा रही है

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट के रूप में विकसित करने एव मानव केन्द्रित सतत् वन विकास (People Centered Sustainable Forest Development) की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये लघु वनोपज संघ मुख्यालय में एक राज्य स्तरीय कार्यदल ''छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि एवं अन्य लघु वनोपज के संरक्षण, विकास, उत्पादन, मूल्य संवर्धन एवं विपणन से आजीविका सुरक्षा कार्यदल'' का गठन किया गया है ।

प्रदेश में लोक संरक्षित वनों की स्थापना हेतु बिलासपुर, मरवाही, धरमजयगढ़, कोरिया, धमतरी, दुर्ग, पूर्व सरगुजा, पूर्व भानुप्रतापपुर एवं जगदलपुर जिला यूनियनों का चयन किया गया । इस योजना के तहत प्रत्येक जिला यूनियन में वर्ष 2001–02 से स्थलीय संवर्धन (In-situ conservation) कार्य के अन्तर्गत जैव विविधता से भरपूर 1000 हे. क्षेत्र का प्रत्येक वर्ष चयन किया जाकर इस क्षेत्र में भूमि तथा जल संरक्षण, सी.बी.ओ. तथा लघु वनोपज/वनौषधियों के सर्वेक्षण, संरक्षण, विकास, उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन संबंधी कार्य किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त

हरबेरियम निर्माण, प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण के कार्य भी किये जा रहे हैं । इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू. 158.00 लाख व्यय किये जा चुके हैं ।

धमतरी वन मंडल में अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन वनमंडल में अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन एवं विपणन हेतु राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अंत:स्थलीय संवर्धन के लिये रू. 30.00 लाख, बाह्य स्थलीय संवर्धन के लिये रू. 30.00 लाख, प्रसंस्करण के लिये रू. 30.00 लाख तथा विपणन के लिये रू. 10.00 लाख, कुल रू. 1.00 करोड़ की 3 वर्ष के 4 परियोजनायें वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत हुई है । अभी तक रू. 80.243 लाख के कार्य सम्पन्न हुये हैं । इसके अतिरिक्त धमतरी वनमण्डल में अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन तथा प्रमाणीकरण क्षमता विकास हेतु आई.डी.आर.सी., कनाडा के द्वारा रू. 55.00 लाख लागत की स्वीकृत 3 वर्षीय परियोजना में वर्ष 2005–06 से कार्य प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत रू. 16.76 लाख व्यय किए जा चुके हैं ।

माननीय वनमंत्री जी की अध्यक्षता में लघु वनोपज संघ में लाख की खेती को बढ़ावा देने हेतु एक अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है ।

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से रूपये 90.00 लाख की राशि प्राप्त कर प्रशिक्षण तथा बीहन लाख प्रदाय के कार्य किये जा रहे हैं । इससे लाख के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय जनता को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है ।

भारत शासन आदिवासी मामले मंत्रलय, नई दिल्ली से वर्ष 2006–07 में राशि रू. 158.00 लाख प्राप्त हुआ है जिसमें 06 एन.डब्ल्यू.एफ.पी. मार्ट की स्थापना, 26 जिला यूनियनों में संजीवनी विक्रय केन्द्रों की स्थापना तथा 07 जिला यूनियनों में स्थापित औषधि निर्माण केन्द्रो का सुदृढ़ीकरण करने के साथ–साथ लघु वनोपज विपणन प्रचार–प्रसार तथा क्षमता विकास के कार्य कराए जा रहे हैं ।

यूरोपियन कमीशन से राशि रू. 21.20 करोड़ की तीन वर्ष की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें प्रथम वर्ष हेतु रू. 3.28 करोड़ प्राप्त हुई है । इस परियोजना के अन्तर्गत संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज प्रसंस्करण, विपणन,

सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे है ।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम की "जनश्री" समूह बीमा योजनाः—

वर्तमान में तेन्दूपत्ता संग्राहकों की जो समूह बीमा योजना चल रही है, उसमें संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3500/—, आंशिक विकलांगता होने पर रू. 12500/—, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रू. 25,000/— संग्राहक अथवा उसके आश्रित को प्राप्त होती है । इस योजना में परिवर्तन कर "जनश्री" बीमा योजना लागू की जा रही है, जिसके अन्तर्गत समस्त संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य है बीमित होगें । इस योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रू. 20,000/—, आंशिक विकलांगता होने पर रू. 25,000/—, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रू. 50,000/— की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रित को प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवार के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी. आई में पढ़ने वाले दो बच्चों को रूपये 300/— प्रति तिमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होगी । इस योजना के व्यय की 75 प्रतिशत राशि रूपये 9.48 करोड़ का व्यय गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा तथा रूपये 3.16 करोड़ का व्यय संघ द्वारा किया जावेगा ।

1.2.2 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम

1.2.2.1 गठन का औचित्य :—

मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम की धारा 60(1) के अन्तर्गत अनुसूची सात में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम का नाम भी सम्मिलित है। मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य में अपना कार्य पूर्वानुसार जारी रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ—5—2/वन/2001 दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया ।

1.2.2.2. उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग एवं देश–विदेश में किये गये अनुसंधानों एवं अनुभवों के परिणाम स्वरूप अनुभव किया गया कि विगत 20–25 वर्षों से अनुपचारित रहे प्राकृतिक वन क्षेत्रों में व्याप्त वन सम्पदा के उचित प्रबंधन एवं सुधार हेतु ऐसे क्षेत्रों में से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्रें में सागौन का रोपण किया जाना उचित होगा ।

जैव विविधता एवं वित्तीय तौर पर वन क्षेत्रें को उत्कृष्ट बनाने के उद्देक्ष्य से मानव निर्मित वन तैयार करने के लिए वन विभाग के सहयोग एवं आयोग की सिफारिश के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित हुआ। राज्य के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 से अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में चार परियोजना मंडल अस्तित्व में थे। सितम्बर 2001 से औद्योगिक परियोजना मंडल, बिलासपुर का गठन किया गया। औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल का मुख्य कार्य एस.ई.सी.एल., बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. कोरबा, भिलाई इस्पात संयंत्र, एन.एम.डी.सी, डब्ल्यू.सी. एल. एन.सी.एल. छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल आदि संस्थानों हेतु पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य है। क्षेत्र हस्तांतरण उपरांत अक्टूबर 2003 में तीन नवीन परियोजना मण्डलों–सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा का गठन किया गया है। इस प्रकार अब छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर में कुल आठ परियोजना मंडल कार्यरत है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वर्तमान में पंजीकृत मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में लोकाश प्लाजा, बॉटल हाऊस के पास शंकर नगर, रायपुर में स्थित है

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत आठ परियोजना मण्डल है।

बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर
(स्थापना वर्ष 30.10.1975 एवं क्षेत्रफल 33118.420 हे.)

कोटा पंडरिया परियोजना मण्डल, बिलासपुर
(स्थापना वर्ष 30.10.1975 एवं क्षेत्रफल 29000.156 हे.)

1. पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव
   (स्थापना वर्ष 17.12.1976 एवं क्षेत्रफल 41404.480 हे.)
2. अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर
   (स्थापना वर्ष 17.12.1976 एवं क्षेत्रफल 42921.969 हे.)

3. औद्योगिक वृक्षारोपण परियोजना मण्डल, बिलासपुर
(स्थापना वर्ष 23–08–2001)

4. मनेन्द्रगढ़ परियोजना मण्डल, मनेन्द्रगढ़
(स्थापना वर्ष 11–09–2003 एवं क्षेत्रफल 11093.962 हे.)

5. सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर
(स्थापना वर्ष 11–09–2003 एवं क्षेत्रफल 20281.753 हे.)

6. कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा
(स्थापना वर्ष 11–09–2003 एवं क्षेत्रफल 11701.350 हे.)

<u>1.2.2.3 आधार एवं आवश्यकता</u> :–

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत प्रतिवेदन की अनुसंशाओं के पालन में कम उत्पादकता वाले वनक्षेत्रें के संस्थागत् वित्तीय की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत की गई थी। वन विकास निगम द्वारा निम्न परियोजनाएं संचालित की जा रही है:–

क – सागौन व बांस का रोपण ।

ख – बिगड़े वनों का सुधार ।

ग – विभिन्न शासकीय उपक्रमों व संस्थाओं हेतु रोपण ।

इनमें से प्रथम दो योजनाएं बैंकों के माध्यम से ऋण लेकर एवं तीसरी योजना विभिन्न उपक्रमों व संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई राशि से संचालित की जा रही है । दिनांक 01.11.2000 को मध्यप्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य का बंटवारा होने से छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने बाले क्षेत्र में उक्त योजनाओं को सम्पादित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01.05.2001 से पृथक से वन विकास निगम की स्थापना की गई ।

<u>1.2.2.4. गठन की प्रक्रिया</u> :–

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय ही यह सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था कि वर्तमान निगमों की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का विभाजन किया जायेगा। मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के विभाजन के सम्बन्ध में भोपाल में दिनांक 16.02.2001 को दोनों राज्य शासन के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें दोनों राज्यों के प्रमुख सचिव, वन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक ने भाग लिया। बैठक में परिसंपत्तियों, देनदारियों एवं अमले के विभाजन के संबंध में सैद्धांतिक सहमति हुई ।

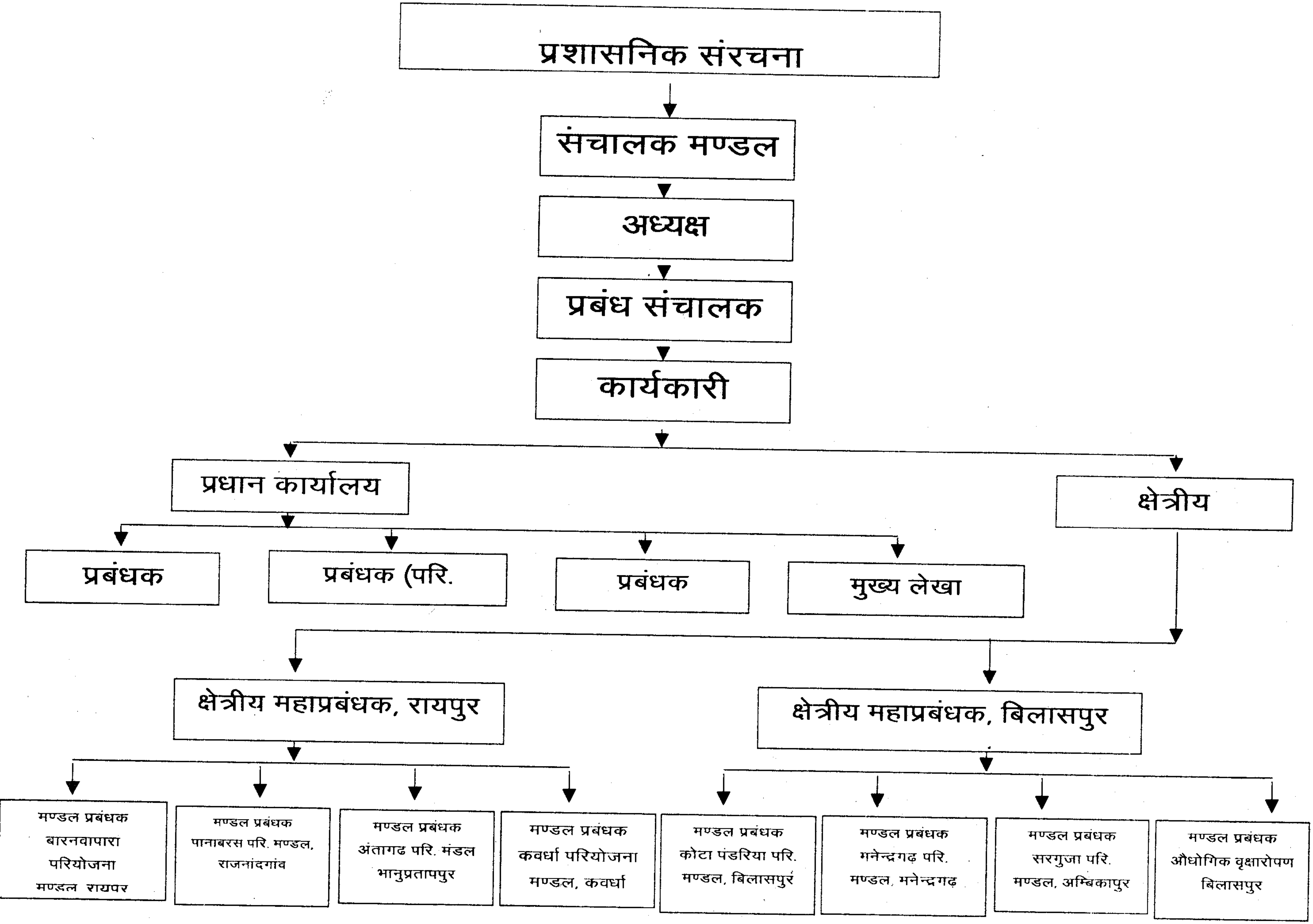

प्रशासनिक संरचना
संचालक मण्डल
अध्यक्ष
प्रबंध संचालक
कार्यकारी
प्रधान कार्यालय
क्षेत्रीय
प्रबंधक
प्रबंधक (परि.
प्रबंधक
मुख्य लेखा
क्षेत्रीय महाप्रबंधक, रायपुर
क्षेत्रीय महाप्रबंधक, बिलासपुर
मण्डल प्रबंधक बारनवापारा परियोजना मण्डल रायपुर
मण्डल प्रबंधक पानाबरस परि. मण्डल, राजनांदगांव
मण्डल प्रबंधक अंतागढ परि. मंडल भानुप्रतापपुर
मण्डल प्रबंधक कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा
मण्डल प्रबंधक कोटा पंडरिया परि. मण्डल, बिलासपुर
मण्डल प्रबंधक मनेन्द्रगढ़ परि. मण्डल, मनेन्द्रगढ़
मण्डल प्रबंधक सरगुजा परि. मण्डल, अम्बिकापुर
मण्डल प्रबंधक औधोगिक वृक्षारोपण बिलासपुर

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 30.04.2001 को निगम के गठन संबंधी अधिसूचना जारी करने के पश्चात् कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगम की पंजीयन प्रक्रिया का पालन करते हुए पार्षद अंतर्नियम एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत करने पर कंपनियों के रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ग्वालियर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का पंजीयन करते हुए निगमन प्रमाण पत्र **U01135 CT2001 SGC 14669** दिनांक 22.05.2001 जारी किया गया ।

1.2.2.5 परियोजना मंडलों का कुल क्षेत्रवार एवं रोपित रकबा (हेक्टेयर में) 1976 से जुलाई 2000 की स्थति में निम्नानुसार है :–

परियोजना मंडल का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण (हेक्टेयर में)				
		सागौन	बांस	मिश्रित	सिंचित वृक्षारोपण (सागौन/बांस)	योग
बारनवापारा	33118.420	17272.360	4328.000	2580.000	35.00	**24215.360**
कोटापंडरिया	29000.156	14529.183	5223.280	627.197	72.24	**20451.900**
पानाबरस	41404.480	17438.892	7807.054	28.550	30.00	**25304.496**
अंतागढ़	42921.969	12572.650	3817.880	604.000	14.00	**17008.530**
कवर्धा	11093.962	-	-	-	-	-
सरगुजा	20281.753	-	-	-	-	-
मनेन्द्रगढ़	11701.350	-	-	-	-	-
योग	**189522.090**	**61813.085**	**21176.204**	**3839.747**	**151.24**	**86980.276**

1.2.2.5.2 छत्तीसगढ राज्य वन विकास निगम गठन के पश्चात् वर्ष 2001 से 2006 (वर्षवार) तक किए गए वृक्षारोपण निम्नानुसार है :

रोपण वर्ष	योग					
	सागौन		बांस		मिश्रित	
	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या
1	2	3	4	5	6	7
2001	1992.15	2824923			-	-
2002	2851.70	4298625			-	-
2003	3255.18	5523517	105.00	42000	-	-
2004	4531.32	6763750	150.00	37100	-	-
2005	3902.46	5716000			-	-
2006	5348.32	8196105	1609.32	810459	250.25	242310
	21881.12	**33322920**	**1864.32**	**889559**	**250.25**	**242310**

उच्च तकनीक वृक्षारोपण :–

उपरोक्त रोपणों के साथ ही वर्ष 97 से परियोजनाओं में उच्च तकनींक के अंतर्गत सागौन के सिंचित रोपण किए गए हैं जिनके काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

परियोजना मंडल का नाम	रोपण का वर्ष एवं क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)							
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	योग
बारनवापारा	10	10	15	—	—	—	—	35
कोटा	1.77	—	20.47	25	25	25	—	97.24
पानाबरस	10	10	10	—	—	—	—	30
अंतागढ	14	—	—	—	—	—	10	24
योग	35.77	20	45.47	25	25	25	10	186.24

1.2.2.5.3 खदानी रोपण :

परियोजना मण्डलों में सागौन, बांस, मिश्रित वृक्षारोपणों के अलावा पर्यावरण विकास के तहत् विभिन्न संस्थानों में वैकल्पिक वृक्षारोपणों का कार्य औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, बिलासपुर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । वर्ष 2001 से 2006 तक औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, बिलासपुर द्वारा 5503906 पौधों का रोपण किया गया है ।

1.2.2.5.4 जेट्रोफा रोपण :

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को 1 करोड़ पौधे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । जिसके तहत रतनजोत पौधे तैयार कर कृषकों को वितरण तथा वृक्षारोपण कार्य कराया गया । जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क.	जिले का नाम	परियोजना मण्डल का नाम	वर्ष 2005			वर्ष 2006	
			कृषकों को प्रदाय पौधे	रोपित किये गये पौधों की संख्या	बीज द्वारा उगाये गये पौधा	कृषकों को प्रदाय पौधे	रोपित किये गये पौधों की संख्या
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	रायपुर,	बारनवापारा–रायपुर	49400	98050	600000	235900	1840000
	महासमुंद	बारनवापारा–रायपुर	106600	420400		346500	800000
2.	बिलासपुर	कोटा पंडरिया –बिलासपुर	1500	45000	166388	14200	857200
3.	राजनांदगांव	पानाबरस –राजनांदगांव	5950	357000	1740000	272800	320700
4.	कांकेर	अंतागढ भानुप्रतापपुर	40000	488750	–	–	295300
5.	जगदलपुर	––,,––	–	–	–	–	1129700
5.	कोरिया	मनेन्द्रगढ़ – मनेन्द्रगढ़	30000	10400	–	–	137500
6	अम्बिकापुर	सरगुजा –अम्बिकापुर	5000	110000	–	–	910000
7.	कोरबा	औद्यो.वृक्षा मण्डल–बिलासपुर	10333	162800	–	–	800000
8.	कवर्धा	कवर्धा –कवर्धा	–	–	75000	–	527800
		योग :–	**248783**	**1692400**	**2581388**	**874400**	**13158000**

1.2.2.5.5 सड़क किनारे वृक्षारोपण:

छत्तीसगढ़ राज्य को हरा–भरा बनाने के लिए वर्ष 2006 में वन विकास निगम के माध्यम से छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल हेतु 44.70 कि.मी. में 60200 पौधों का रोपण किया गया है।

वर्ष	परियोजना मण्डल	मार्ग का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	
			लम्बाई (कि.मी.)	रोपित मार्ग की लम्बाई (कि.मी.)	रोपित पौधों की संख्या
2006	कवर्धा	कवर्धा–पौंडी	11.00	11.00	16800
		कवर्धा–भोरमदेव	12.00	12.00	
	बारनवापारा	तुमगांव–सिरपुर	10.00	10.00	20000
	पानाबरस	मोहला–मानपुर	10.00	1.70	3400
	अंतागढ़	कांकेर–कोरर	10.00	10.00	20000
योग :			**53.00**	**44.70**	**60200**

1.2.2.6. वर्ष 2000–01 से 2005–06 तक वर्षवार रोपण भंडार की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	बारनवापारा	कोटा	पानाबरस	अंतागढ़	कवर्धा	मनेन्द्रगढ़	अंतागढ़	योग
2000-01	1660000	2000000	869000					4529000
2001-02	2900000	2350000	2628000					7878000
2002-03	2523000	1500000	2163000	2023000				8209000
2003-04	3570000	1054050	2022300	2432425				9078775
2004-05	3251000	1122100	1357800	2993800				8724700
2005-06	1499000	1976280	2698210	3050000	1750870	170000	610000	11754360
				महायोग :				**50173835**

1.2.2.6.1 वर्ष 2007 हेतु वृक्षारोपण का लक्ष्य एवं विभिन्न रोपणियों में उपलब्ध पौधों की जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष 2007 हेतु वृक्षारोपण का लक्ष्य

क्र.	परियोजना मंडल का नाम	लक्ष्य (नेट हे. में)		
		सागौन	बांस	मिश्रित
1.	बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर	405	225	—
2.	कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर	400	225	—
3.	पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव	550	—	—
4.	अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर	350	330	—
5.	कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा	680	—	—
6.	सरगुजा परियोजना मण्डल अम्बिकापुर	430	200	100
7.	मनेन्द्रगढ़ परियोजना मण्डल, मनेन्द्रगढ़	—	—	150
	योग	**2815**	**980**	**250**

कुल योग — 4045

1.2.2.6.2 रोपणियों में उपलब्ध पौधों की जानकारी

परियोजना मंडल का नाम	वर्ष 2007 रोपण हेतु पौधे		
	सागौन	बांस	मिश्रित
बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर	4570000	175000	-
कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर	3200000	50000	30000
पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव	3000000	200000	60500
अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर	2800000	730000	-
कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा	2700000	-	-
सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	1512000	205000	250000
मनेन्द्रगढ़ परियोजना मण्डल, मनेन्द्रगढ़	57000	300000	-
औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, बिलासपुर	650000	-	-
योग :	**18489000**	**1660000**	**340500**

औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल में मिश्रित प्रजाति के 10,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है।

विभिन्न परियोजना मण्डलों में वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 एवं 2005 में विदोहन की जानकारी

वर्ष	लक्ष्य			उत्पादन			
	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टा (नग)	बांस (नो. टन)	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टा (नग)	व्या. बांस (नो.टन)	औ. बांस (नो.टन.)
2000—01	• -	-	-	44405.222	67704	2966.240	5530.964
2001—02	46000	68750	5235	75705.959	117198	1534.338	3319.217
2002—03	60572	77442	7827	67601.515	115443	1910.136	3016.708
2003—04	72280	84375	5360	46018.177	101934	1230.835	1891.013
2004—05	158197	229650	10400	52855.525	79593	809.130	1202.228
2005—06	87322	126111	4595	71442.139	82735	725.095	1883.148

वर्ष 2005—06 में वनोपज के लक्ष्य, उत्पादन की जानकारी जुलाई 2006

लक्ष्य			उत्पादन		
काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टा	बांस (नो. टन.)	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टा	बांस (नो. टन.)
87322	126111	4595	71442.139	82735	2608.243

<u>छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में वर्ष 2006—07 का बजट एवं माह दिसम्बर 2006 तक उपलब्धि :—</u>

		लक्ष्य (राशि करोड़ में) वर्ष 2006—2007	उपलब्धि (राशि करोड़ में) माह दिसम्बर 2006 त
01	राजस्व प्राप्ति	39.79	41.46
02	व्यय	33.60	20.36

1.2.3. छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड

1. राज्य शासन के संकल्प दिनांक 28.07.2004 द्वारा औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड की स्थापना की गई है ।

2. बोर्ड का उद्देश्य :

(i) वनौषधियों के विकास हेतु शोध और अनुसंधान कराना ।

(ii) केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड या राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही औषधि पौधों के विकास योजनाओं का अनुश्रवण करना ।

(iii) औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश–विहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना ।

(iv) औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण ।

(v) औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना तथा वनोषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना ।

- औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना ।
- औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना ।
- पारम्परिक चिकित्सकों की पहचान करने तथा मान्यता दिलाने के कार्य का समन्वय करना ।
- पारम्परिक चिकित्सकों तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेन्ट कराना ।
- वनौषधियों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य ।

2.3.1 2006–07 में बोर्ड द्वारा संपादित कार्यों का विवरण :

- अप्रैल 2006 में छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्ध जैव विविधता में औषधीय पौधों की पहचान, उपलब्धता, उपयोगिता एवं औषधीय संबंधी विवरण का डाटाबेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वात्यसायी संस्थान **Foundation for revitalisation of Local health traditions (FRLHT), Bangalore** द्वारा वनौषधि बोर्ड के सहयोग से डाटाबेस तैयार किया गया है जिसके अनुसार छ.ग. राज्य में 2021 औषधि एवं सुगंधित पौधो की प्रजातियां पाई जाती है । इनमें से राज्य में पाये जाने वाले 25 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनौषधियों का डाटाबेस छ.ग. राज्य वनौषधि बोर्ड द्वारा हिन्दी में तैयार किया जा रहा है ।

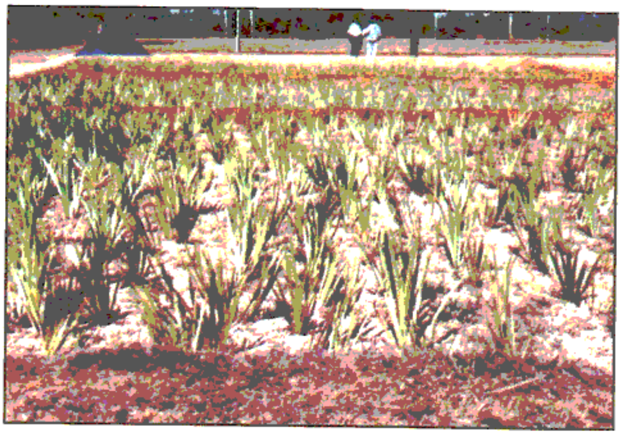

- बोर्ड द्वारा नोडल एजेंसी के रूप वर्ष 2006–07 में निम्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लिया गया है :

(i) बैंगलोर बायो–2006 07.06.2006 से 09.06.2006 तक में पार्टनर स्टेट के रू में भाग लिया जिसमें छत्तीसगढ़ के स्टाल को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानि किया गया ।

(ii) नई दिल्ली में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं **FICCI** के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आरोग्य–2006 राष्ट्रीय प्रदर्शनी में दिनांक 14.10.2006 से 17.10.2006 तक भाग लिया ।

(iii) दिनांक 01.11.2006 से 07.11.2006 तक राज्योत्सव 2006 में प्रदर्शनी आयोजित किया गया ।

(iv) छ.ग. राज्य वनौषधि बोर्ड द्वारा स्वीकृत परियोजना अंतर्गत पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा दिनांक 30.10.2006 से 31. 10.2006 तक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ''हरित हर्बल, स्वस्थ छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से **Power Point** प्रस्तुतीकरण किया गया ।

(v) भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के दिनांक 07.11.06 को रायपुर प्रवास पर वन विभाग द्वारा सुन्दरकेरा ग्राम में वनौषधि बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी लगाया गया जिसका महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अवलोकन किया गया ।

(vi) नई दिल्ली में दिनांक 14.11.2006 से 27.11.2006 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लिया । इस मेले में छ.ग. राज्य को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

(vii) स्वदेशी मेला 2006 में दिनांक 25.12.06 से 31.12.06 तक भाग लिया गया ।

छ. ग. राज्य वनौषधि बोर्ड की नीति एवं कार्य आयोजना प्रारूप तैयार किया गया जिसे फरवरी 2007 तक अंतिम रूप दिया जायेगा।

- राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2005–06 में औषधीय पौधों के निम्नानुसार 4 प्रमोशनल स्कीम **GOs.** स्वीकृत किये गये हैं :

1. वनौषधि वाटिका सह उत्पादन सह प्रदर्शन केन्द्र गोढ़ी, सामाजिक वानिकी वनमण्डल रायपुर, परियोजना अवधि 3 वर्ष, लागत रू.20.00 लाख
2. उच्च गुणवत्ता के औषधीय पौधों का उत्पादन, क्षेत्रिय वनमण्डल, दुर्ग, परियोजना अवधि–3 वर्ष, लागत रू.24.00 लाख
3. उच्च गुणवत्ता के औषधीय पौधों का उत्पादन, क्षेत्रिय वनमण्डल, कांकेर परियोजना अवधि–3 वर्ष, लागत रू.25.00 लाख ।
4. स्टीबिया पर डेमोस्ट्रेशन एवं विकास योजना, प्रबंध संचालक टेरीफेड, न्यू दिल्ली, परियोजना अवधि 3 वर्ष, लागत रू.11.00 लाख ।

- राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2005—06 में प्रमोशनल स्कीम के अंतर्गत **NGOs.** को निम्नलिखित योजनाये स्वीकृत किये गये हैं :

• *S. No.*	• *Title of Project*	• *Name and address of organizations*	• *Period* • *(in years)*	• *Evaluated project cost (in Lakh)*
• 1	• Promotion of medicianl plants by self help groups through capacity building & cultivation of MPs in Raigarg Dt- of Chattisgarh.	• Dr. Prashant Saxena Janmitram Kalyan Samiti, Plot No. 74, Kelo Vihar, Raigarg	• 3	• 20.00
• 2	• Establishment of Herbal Garden and Nursery Centre	• Sh. Anil Goyal, Secretary, All Higher Educational Upliftment Society, C/244, Shailendra Nagar, Raipur	• 3	• 17.00

- वर्ष 2005—06 में वाणिज्यिक योजनाओं के अंतर्गत एन.एम.पी.बी. अंतर्गत नई दिल्ली को अनुदान हेतु भेजे गये तथा स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :

क.	प्राप्त प्रोजेक्ट की संख्या	स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रोजेक्ट की संख्या	स्वीकृति प्राप्त संख्या	कल्टिवेटेड एरिया	वनौषधि का नाम	स्वीकृत राशि लाख में	प्रथम किश्त प्राप्त राशि लाख में
1.	32	32	11	101.50	स्टीबिया, कलिहारी, अनाटो, सफेद मूसली, आम, अदरक, बिक्सा अश्वगंधा, सर्पगंधा, आंवला, सतावर, पिप्पली, लेमनग्रास, बच, कालमेघ, चंदन	22.12	11.06

* वर्ष 2006–07 में प्रोत्साहिक योजनाओं के अंतर्गत **(GO,s)** एन.एम.पी.बी. अंतर्गत नई दिल्ली को अनुदान हेतु भेजे गये तथा स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :

क्र	प्राप्त प्रोजेक्ट की संख्या	स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रोजेक्ट की संख्या	स्वीकृति प्राप्त संख्या	कल्टिवेटेड एरिया	वनौषधि का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्रथम किश्त प्राप्त राशि (लाख में)
1.	,10	10	स्वीकृति–1 विचारणीय–9	126.09	स्टीबिया, सफेद मूसली, घृतकुमारी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, केउकंद, कोलियस, आंवला, बच, तिलियाकंद, कालीहल्दी, सतावर, अकरकरा, मुश्कदाना, कालमेघ, केवांच	3.00	3.00

* वर्ष 2006–07 में प्रोत्साहिक योजनाओं के अंतर्गत ;छळठ्ऐद्ध एन.एम.पी.बी. अंतर्गत नई दिल्ली को अनुदान हेतु भेजे गये तथा स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :

क.	प्राप्त प्रोजेक्ट की संख्या	स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रोजेक्ट की संख्या	स्वीकृति प्राप्त संख्या	कल्टिवेटेड एरिया	वनौषधि का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्रथम किश्त प्राप्त राशि (लाख में)
1.	29	29	अपेक्षित	324.31	आंवला, सर्पगंधा, कोलियस, चिरायता, अलीस, बहेड़ा, सनाय, सफेद मूसली, सतावर, कलिहारी, पचौली, मुश्कदाना, पिप्पली, तुलसी ब्राम्ही, अशोक, गुडूची,	———	———

* वर्ष 2006–07 में वाणिज्यिक योजनाओं के अंतर्गत एन.एम.पी.बी. **नई** दिल्ली को अनुदान हेतु भेजे गये तथा स्वीकृति प्राप्त योजनाओं **की** जानकारी निम्नानुसार है :

क्र.	प्राप्त प्रोजेक्ट की संख्या	स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रोजेक्ट की संख्या	स्वीकृति प्राप्त संख्या	कल्टिवेटेड एरिया	वनौषधि का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्रथम किश्त प्राप्त राशि (लाख में)
1.	40	40	अपेक्षित	227.64	आंवला, सर्पगंधा, कोलियस, चिरायता, अलीस, बहेड़ा, सनाय, सफेद मूसली, सतावर, कलिहारी, पचौली, मुश्कदाना, पिप्पली, तुलसी ब्राम्ही, अशोक, गुडूची,	----	----

* बोर्ड द्वारा वनौषधि क्षेत्र में कार्यरत कुल 525 कृषकों 76 व्यापारियों एवं 13 संग्रहणकर्ताओं का पंजीयन किया गया है ।
* बोर्ड द्वारा स्थापना उपरांत 213 कृषकों, 31 व्यवसायियों को वनौषधि क्षेत्र में व्यक्तिशः मार्गदर्शन दिया गया है ।
* बोर्ड द्वारा वनौषधियों के मार्केटिंग को सुनियोजित करने के लिए मार्केटिंग फैसिलिटेशन सेन्टर बनाया गया है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण वनौषधि उद्योगों एवं व्यवसायियों से संपर्क स्थापित किया गया है । इसके यथेष्ट परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ।

- कृषकों को समुचित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने एवं उचित दर पर रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय प्रोजेक्ट (लागत रू.16.55 लाख) प्रगति पर है । इसके अंतर्गत विभिन्न वनौषधियों से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण **Active Principal** की पहचान की जा रही है तथा इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर शोध हो रहा है । अब तक रू. 6.00 लाख राशि आबंटित की गयी है जिसके विरूद्ध अब तक रू. 1,24,950/– का व्यय किया जा चुका है ।

बोर्ड का वेबसाइट www.cgvanoushadhi.com तैयार किया गया है ।

वनौषधियों के प्रचार–प्रसार हेतु 3 तकनीकी फिल्म तैयार किया गया है तथा 8 तकनीकी साहित्य प्रकाशित किये गये हैं ।

वर्ष 2006–07 में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रोत्साहित योजना के अंतर्गत राज्य के स्कूलों में वनौषधि वाटिका का स्थापना हेतु रू. 14,000/– प्रति स्कूल की दर से निम्नलिखित जिलों हेतु रू. 322000/– की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है । बिलासपुर–4, महासमुंद –2, दुर्ग–1, रायपुर–3, दंतेवाड़ा–6, जशपुर–7, (कुल 23 स्कूल)

A. छ.ग. राज्य वनौषधि बोर्ड की स्थापना (28.07.04) के उपरांत राज्य शासन तथा भारत शासन द्वारा बोर्ड के कार्यकलापों के अंतर्गत वर्ष 2004–05 से 2006–07 (अक्टूबर) तक आबंटित अनुदान राशि तथा उनके विरूद्ध व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :

1.2.3.2 भारत सरकार से Nuclears Centre की स्थापना हेतु प्राप्त आबंटन :

क.	वित्तीय वर्ष	आबंटित अनुदान राशि (रू.लाख में)	व्यय की गई राशि (रू.लाख में)	अवशेष राशि (रू.लाख में)
1.	2004–05	5.00	3.38	1.62
2.	2005–06	——	1.62	विगत वर्ष की बकाया राशि
3.	2006–07	3.38	——	3.38

1.2.3.3 राज्य शासन से प्राप्त अनुदान :

क.	वित्तीय वर्ष	आबंटित अनुदान राशि (रू.लाख में)	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि (रू.लाख में)
1.	2004–05	30.00	9,93,500/–	20,06,500/–
2.	2005–06	30+20.07	37,24,700/–	12,82,000/–
3.	2006–07	35 + 12.82	44,87,000/–	2,95,000/–

B. वर्ष 2006–07 में राज्य शासन द्वारा बोर्ड को प्रदायित अनुदान राशि से निम्न कार्य किये जा रहे हैं :–

- राज्य के 23 स्कूलों में हर्बल गार्ड़न की स्थापना हेतु प्रति स्कूल रू. 14,000/– की दर से कुल रू.3.22 लाख की राशि स्वीकृति, कार्य प्रगति पर है ।
- वनौषधियों के विक्रय हेतु धमतरी में एक हर्बल मंडी की स्थापना प्रगति पर है ।
- रू.08.30 करोड़ की लागत से निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा वनौषधि कृषि परियोजना डी.एस. ग्रुप, नोयडा, नई दिल्ली द्वारा राज्य में प्रारंभ ।
- देश का प्रथम हर्बल/मेडिसिनल पार्क की स्थापना सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर के सहयोग से प्रगति पर है ।

1.3 वन विभाग के दायित्व

वन विभाग छत्तीसगढ़, ''राज्य की वन संपदा एवं जैव विविधता को'' वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के बहुआयामी उपयोग हेतु संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कृत संकल्पित है। संक्षेप में विभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :–

- राज्य की समृद्ध जैव–सांस्कृतिक विविधता एवं विरासतों का संरक्षण।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं समेकित विकास करना।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।
- वनों से कार्य आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निर्वर्तन ।
- अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निर्वर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार।
- वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना

1.4 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ एवं महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.4.1 सामान्य परिदृश्य

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,224 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत हैं। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59772 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर हैं । राज्य के वन आवरण की दृष्टि से देश के 3 राज्य निम्नानुसार है:–

1. मध्यप्रदेश	–	76429 वर्ग कि.मी.
2. अरूणाचल प्रदेश	–	8019 वर्ग कि.मी.
3. छत्तीसगढ़	–	55998 वर्ग कि.मी.

छत्तीसगढ़ राज्य के वन – एक दृष्टि मे

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र वर्ग (कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	59772.40	100.00
ब. वनों के प्रकार		
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	59772.40	100.00
स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र *		
राष्ट्रीय उद्यान – 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य– 11	6615.295	11.06

1.4.2 छत्तीसगढ में वनों की प्रासंगिकता

छत्तीसगढ़ राज्य जिसका विस्तार 17046′ से 2406′ उत्तर अक्षांश तथा 80015′ से 84051′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र (135224 वर्ग कि. मी.) है जिसका लगभग 44.2: भौगोलिक क्षेत्र (59772 वर्ग किलोमीटर) वनों से आच्छादित हैं और इसमें 4 प्रमुख नदी प्रणालियों, क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और बानगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियॉ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आद्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. हैं ।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियॉ साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (डिप्टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (ऐनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेंलैनौक्जाईलान) प्रजातियाँ हैं। मध्य छत्र में आंवला (एम्बिलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (कोलीस्ट्रेन्थस कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियॉ हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही साथ ही वे वन—वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं तथा मध्य भारत के प्रतिनिधि वन्यप्राणियों जैसे शेर (पैन्थरा टिगरीस), तेन्दुआ (पैन्थरा पार्ड्स), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकोलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नीलगाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस सेक्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणियों जैसे वन भैसा (बूबालस बूबालस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रैकुला इंडिका) इस राज्य की बहूमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी, एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वांगीण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

1.4.3 छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति –2001

उपरोक्त पृष्ठभूमि में छत्तीसगढ़ राज्य ने जनोन्मुखी वन नीति बनाई है। संभवतः देश का यह प्रथम राज्य है जिसने वन प्रबंधन को एक नई दिशा देने में ठोस पहल की है। नीति में वन संसाधन के सतत् एवं टिकाऊ प्रबंधन से समाज के आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगो की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है।

नई वन नीति के मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए गये हैं एवं इनका सभी स्तरों पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

वन नीति–2001 के मूल उद्देश्य

- राज्य के विपुल संसाधन को निरंतरता के आधार पर स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु चिन्हांकित कर उनके उन्मुक्त उपभोग का सामुदायिक नियंत्रण एवं प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित एवं प्रबंधित संसाधन के रूप में मान्य करना ।
- प्रमुख वनोपज(लकड़ी) से लघुवनोपज, एकल स्तर से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रतीकात्मक प्रजाति सवन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना ।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावर्णीय स्थायित्व तथा पारिस्थितकीय संतुलन स्थापित करना।
- जैविक रूप से सम्पन्न प्राकृतिक वन जो आदिवासी जन जीवन के प्रमुख सांस्कृतिक आधार हैं, को सुरक्षित रखकर राज्य के जैव सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना।
- नदियों एवं जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाले भूक्षरण एवं वन आवरण कमी को नियंत्रित करना ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। निरंतर गिर रहे भू–जल स्तर को उच्चतम उपयोग स्तर पर लाना और जलाशयों में गाद जमा होने की गति में कमी लाना।

- कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्ष रहित अनुत्पादक भूमि पर कृषि वानिकी एवं वृक्ष खेती जैसे कायक्रमों के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना।
- वनों की धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ एवं छोटी लकड़ी,चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- वनों को आर्थिक लाभ का स्त्रोत न मानकर, राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक युक्ति नीति एवं वैधानिक संरचना सृजित करना।

1.4.4 मानव संसाधन विकास

वन विभाग में क्षेत्रीय कर्मचारियों को विभाग के तकनीकी कार्यों में प्रशिक्षण देने तथा सेवारत कर्मचारियों के पुनःस्मरण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए एक वन विद्यालय, जगदलपुर एवं दो वनरक्षक प्रशिक्षण शाला क्रमशः सक्ती तथा महासमुंद में स्थित है।

वन विद्यालय, जगदलपुर में वनपाल स्तर के क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण छः माह की अवधि का है तथा वर्ष में दो प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक 50 प्रशिक्षणार्थियों का आयोजित किया जाता है। इस वर्ष से अर्थात् 01/01/07 से वन विद्यालय, जगदलपुर में बैकलॉग के अंतर्गत नव नियुक्त एवं सामान्य वर्ग के वनरक्षकों को एक वर्षीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

महासमुंद एवं सक्ती में स्थित वनरक्षक प्रशिक्षण शाला में 50–50 वनरक्षकों को एक सत्र में प्रशिक्षित किया जाता है। इनका एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित है। वनरक्षक प्रशिक्षण शाला में प्राविण्य सूची में प्रथम आए वनरक्षक को वनपाल प्रशिक्षण में भेजे जाने की व्यवस्था है तथा बैकलाग भर्ती में नव नियुक्त वनरक्षकों हेतु इन प्रशिक्षण शालाओं में पाक्षिक इन्डक्शन कोर्स प्रशिक्षण आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सी. टी. जे. डब्ल्यू. कॉलेज, कांकेर द्वारा संचालित वायसी कोर्स में क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु इस सत्र से प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है।

वर्ष 2006—07 में इन प्रशिक्षण शालाओं में निम्नानुसार नियमित प्रशिक्षण दिया गया :—

प्रशिक्षण शाला का नाम	विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
सक्ती	वनरक्षक प्रशिक्षण	जून, 2006 से मई, 2007 तक	40
जगदलपुर	वनपाल प्रशिक्षण	01/06/06 से 30/11/06 तक	37
जगदलपुर	रिफ्रेशर कोर्स	27/01/06 से 09/02/06 तक	37
जगदलपुर	रिफ्रेशर कोर्स	04/09/06 से 16/09/06 तक	35
जगदलपुर	रिफ्रेशर कोर्स	16/10/06 से 28/10/06 तक	30
महासमुंद	रिफ्रेशर कोर्स	04/09/06 से 16/09/06 तक	18
सक्ती	रिफ्रेशर कोर्स	04/09/06 से 17/09/06 तक	22
सक्ती	रिफ्रेशर कोर्स	16/10/06 से 28/10/06 तक	26
जगदलपुर	वृत्त के नवनियुक्त वनरक्षकों हेतु आधारभूत प्रशिक्षण (इन्डक्शन कोर्स)	25/08/06 से 07/09/06 तक	100
महासमुंद	नवनियुक्त वनरक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण (इन्डक्शन कोर्स)	पाक्षिक	37
जगदलपुर	संयुक्त वन प्रबंधन एवं वन विकास अभिकरण कोर्स प्रशिक्षण	09/01/06 से 19/01/06 तक	23
कानन पेण्डारी, बिलासपुर	नवनियुक्त वनरक्षकों हेतु इन्डक्शन कोर्स	01/09/06 से 30/09/06 तक	54

1.4.5 विकास योजनाएँ :—

1.4.5.1 बिगड़े वनों का सुधार

इस योजना का क्रियान्वयन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित कम घनत्व वाले विरले क्षेत्रों मे किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकांशतः आबादी से घिरे हुए हैं तथा अत्यधिक चराई, निस्तार पूर्ति हेतु जैविक दबाव की वजह से बिगड़े वन के रुप मे हैं। अधिकांश क्षेत्रो में जड़ भण्डार की पर्याप्त मात्रा है जो कि विकृत रुप मे है। योजना का मुख्य उद्धेश्य भू—जल संरक्षण कार्य करते हुए जड़ भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्र का पुर्नवास करना है । इस कार्य में संयुक्त वन प्रबंधन समिति की पूर्ण सहभागिता रहती है, प्रथम वर्ष के कार्यों से लेकर अगले 5 वर्षों तक सुरक्षा आदि का क समितियों के सहयोग से किया जाता है। प्रथम वर्ष में सुधार कार्यों से प्राप्त वनोपज को प्रतिशत समितियों को प्रदाय किया जाता है तथा क्षेत्र की समितियों द्वारा सामूहिक सुरक्षा क के एवज में उन्हे इस हेतु निर्धारित राशि प्रदाय की जाती है ।

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार क प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया है:—

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का कार्य (हे.में)	द्वितीय वर्ष का कार्य (हे.में)	पुराने क्षेत्रों का रखरखाव (हे.में)
2004—05	55289	29392	24865
2005—06	42990	33079	50708
2006—07 (12/06 तक)	39384	42990	74548

1.4.5.2 बिगड़े बांस वनों का सुधार

इस योजना के अंतर्गत वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां पर बांस के भिर्रे जीर्ण–शीर्ण हो जाते हैं या अत्यधिक गुंथ जाते हैं जिसके फलस्वरुप वे अनुत्पादक हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गुथे बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, बिना गुंथे हुए अविकसित भिर्रो में मिट्टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण एंव रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई से जहां अविकसित भिर्रे विकसित होते हैं तथा उसमें नये बासों की संख्या में वृद्धि होती है तथा बास की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। वर्षवार बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का आर.डी. बी.एफ. कार्य (हे. में)
2004–05	18793
2005–06	16963
2006–07 (12/06 तक)	25280 (कार्य प्रति पर)

1.4.5.3 पर्यावरण वानिकी

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है।

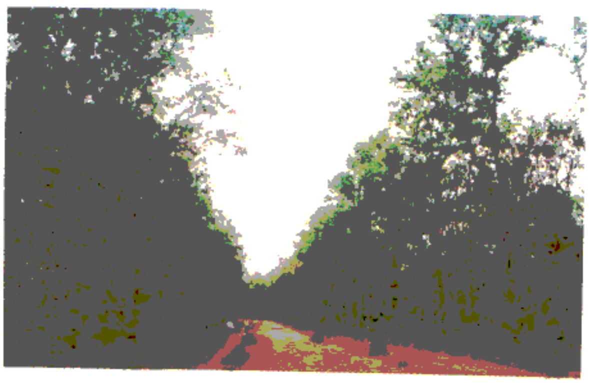

वर्षवार प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:—

वित्तीय वर्ष	कार्य	आबंटन	व्यय
2004—05	स्मृति वन रायपुर, संजय उद्यान अम्बिकापुर, इंदिरा उद्यान पेंड्रा, केन्दई जल प्रपात स्थल का विकास, केशकाल पंचवटी, दुर्गाधारा, भालूमार तालाब रखरखाव, आसना पर्यावरण वन, कुटुम्बसर गुफा, रायपुर के नंदन वन, बिलासपुर के कानन पेंडारी का विकास, वन महोत्सव, पथ वृक्षारोपण आदि	250.00	246.78
2005—06	स्मृति वन रायपुर, संजय उद्यान अम्बिकापुर, इंदिरा उद्यान पेंड्रा, दुर्गाधारा, आसना पर्यावरण वन, वन महोत्सव, पथ वृक्षारोपण आदि	319.00	314.88
2006—07 (12/06 तक)	स्मृति वन रायपुर, संजय उद्यान अम्बिकापुर, आसना पर्यावरण वन, इंदिरा उद्यान पेंड्रा के रखरखाव, वन महोत्सव, पथ वृक्षारोपण/ तैयारी/ रखरखाव आदि	325.00	187.56

कार्य आयोजनाओं के अनुसार कूपों में कार्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्तों के अतिरिक्त अन्य प्रबंधन कार्य वृत्तों के प्रावधानित क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य किया गया है –

वर्ष 2004–05

कार्य वृत्त	लक्ष्य (हे. में)	उपलब्धि (हे. में)
फ्यूल फाडर एवं पास्चर डेव्लपमेंट वर्किंग सर्किल	1317	1317
भूमि संरक्षण वर्किंग सर्किल	6020	6020
ट्राईबल अपलिफ्टमेंट वर्किंग सर्किल	3240	3240
स्पेशल साल इन्प्रुव्हमेंट वर्किंग सर्किल	833	833
मेन फेलिंग के कूपों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य	40318	40318
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	19271	19271

वर्ष 2005–06

कार्य वृत्त	लक्ष्य (हे. में)	उपलब्धि (हे. में)
फ्यूल फाडर एवं पास्चर डेव्लपमेंट वर्किंग सर्किल	828	828
भूमि संरक्षण वर्किंग सर्किल	6857	6857
ट्राईबल अपलिफ्टमेंट वर्किंग सर्किल	429	429
स्पेशल साल इन्प्रुव्हमेंट वर्किंग सर्किल	972	972
मेन फेलिंग के कूपों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य	42967	42967
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	16909	16909

वर्ष 2006—07 (दिसम्बर 2006 तक)

कार्य वृत्त	लक्ष्य (हे. में)	उपलब्धि (हे. में)
भूमि एवं जल संरक्षण वर्किंग सर्किल	14739	कार्य प्रति पर
स्पेशल साल रिहेबिलिटेशन वर्किंग सर्किल	402	—''—
स्पेशल साल इम्प्रुव्हमेंट वर्किंग सर्किल	520	—''—
मेन फेलिंग के कूपों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य	38085	—''—
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	16711	—''—
वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल	19464	—''—
वृक्षारोपण कार्य वृत्त	6691	—''—

1.4.5.4 सड़के तथा मकान निर्माण कार्य

इस योजना में मांग संख्या 10 एवं 41 के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय निर्माण, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्षवार कार्य निम्नानुसार है

वित्तीय वर्ष	भवनों की संख्या	बजट प्रावधान	व्यय राशि
2004—05	215	315.00	316.61
2005—06	474 पूर्ण निर्माण 126 आंशिक निर्माण	720.00	712.81
2006—07 (12/06 तक)	125 पूर्ण निर्माण 275 आंशिक निर्माण	720.00	86.51

1.4.5.5 पौधा प्रदाय योजना

वित्तीय वर्ष 2005–06 में निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने ''पौधा प्रदाय योजना'' प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू–स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 12.64 लाख तथा वर्ष 2006–07 में 9.07 लाख पौधे रियायती दर पर प्रदाय किये गये हैं। वर्ष 2007–08 में 20 लाख पौधे वितरण का लक्ष्य है।

1.4.5.6 हरियाली प्रसार योजना

वनेत्तर क्षेत्रों में वानिकी के प्रसार हेतु विभाग ने वित्तीय वर्ष 2005–06 में ''हरियाली प्रसार योजना'' लागू की है। योजना अंतर्गत भूमि स्वामी को उनके द्वारा अपनी पड़त भूमि में न्युनतम 250 तथा अधिकतम 1000 पौधे की सीमा तक गढ्ढे खोदने की स्थिति में पौधा रोपण के अन्य समस्त व्यय जैसे पौधा तैयारी, रोपण, निंदाई, खाद, कीटनाशक आदि पर होने वाले व्यय, विभाग द्वारा भारित किये जाते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 4.95 लाख तथा वर्ष 2006–07 मे 15.02 लाख पौधे हितग्राहियों द्वारा रोपित किये गये हैं। वर्ष 2007–08 में 11 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य है।

1.4.5.7 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू–क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2005–06 में विभाग द्वारा ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 1.55 लाख तथा वर्ष 2006–07 में 3.30 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2007–08 में 5 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य है।

1.4.5.8 बायो डीजल हेतु रतनजोत वृक्षारोपण

बायो डीजल उत्पादन हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में वर्ष 2004–05 से रतनजोत रोपण की महत्वाकांछी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा शासकीय भूमि पर एवं जनता को पौधा उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से निजी भूमि पर रोपण का कार्य कराया गया। वन विभाग द्वारा निम्नानुसार उपलब्धि प्राप्त की गई है –

वर्ष	रतनजोत पौधा रोपण/ वितरण					
	लक्ष्य (लाख में)			उपलब्धि (लाख में)		
	रोपण	वितरण	योग	रोपण	वितरण	योग
2004-05	2.50	-	2.50	3.71	-	3.71
2005-06	150	150	300	243.65	61.24	304.89
2006-07	500	300	800	600.13	230.71	830.84

1.4.5.9 वृक्षारोपण

प्रदेश में वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु वनमंडलवार अनुमोदित कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार रिक्त एवं बिगड़े वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। विगत 03 वर्षों में वन विभाग द्वारा वनक्षेत्रों में वनीकरण की दिशा में किये गए प्रयास निम्नानुसार हैं:

क्र.	वष	उपलब्धि (लाख पाधा म)
1	2004–05	217.11
2	2005–06	234.73
3	2006–07	287.95

1.4.5.10 एकीकृत वन ग्राम विकास योजना

प्रदेश में वनक्षेत्रों के अधीन कुल 427 वनग्राम अधिसूचित हैं जिसमें से 02 वनग्राम वीरान/ डूब में हैं। सुदूर वनांचलों में स्थित होने तथा इन ग्रामों मे विकास के कार्यों की पर्याप्त स्वीकृति न मिलने के फलस्वरूप यह वनग्राम अन्य राजस्व ग्रामों की तुलना में अत्यंत पिछड़े हुये हैं। भारत सरकार, जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा वनग्रामों के विकास हेतु एकीकृत वनग्राम विकास योजना स्वीकृत की गई है। योजना अंतर्गत 414 वनग्रामों की विकास योजना के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं, जिनमें से भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 396 वनग्रामों के विकास की कार्य योजना का अनुमोदन करते हुए 66.98 करोड़ रुपये लागत की वनग्राम विकास योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नवम्बर 2006 तक कुल 54.52 करोड़ रुपये की राशि आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में वन विकास अभिकरणों को उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2005–06 में 43.59 करोड़ तथा 2006–07 में 10.93 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

एकीकृत वनग्राम विकास के तहत् स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप वनग्रामों में पहुंच मार्ग का विकास, कृषि विकास, पेयजल सुविधाओं का विकास, सिंचाई सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, उद्यानिकी विकास, शिक्षण सुविधाओं का विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिये रोजगार मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन आदि कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय वन संरक्षकों की अध्यक्षता में गठित वन विकास अभिकरण एवं उनके अंतर्गत संबंधित संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाना है। योजना का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

योजना के क्रियान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :–

वनग्राम जिनकी योजना स्वीकृत	– 396
कुल स्वीकृत राशि	– रू. 66.98 करोड़
आवंटित राशि (वर्ष 2005–06)	– रू. 43.59 करोड़
आवंटित राशि (वर्ष 2006–07)	– रू. 10.93 करोड़
दिसम्बर 2006 तक व्यय	– 30.72 करोड़ रुपये
कुल स्वीकृत कार्य	– 3930
कार्य पूर्ण	– 2190
कार्य अपूर्ण	– 1740

1.4.5.11 वनों के रखरखाव हेतु 12वें वित्त आयोग की अनुसंशा से प्राप्त अनुदान

12वें वित्त आयोग की अनुसंशा से वनों के रखरखाव हेतु छत्तीसगढ़ वन विभाग को कुल 85 करोड़ रुपये का अनुदान वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 (5 वर्ष की अवधि) के लिए स्वीकृत किया गया है। यह अनुदान प्रतिवर्ष 17 करोड़ रुपये की दर से प्राप्त होना है।

वर्ष 2005–06 में कुल 850 लाख रुपये इस मद के अंतर्गत आबंटित किये गये । विलंब से योजना की स्वीकृति एवं आबंटन विमुक्त होने के कारण कुल 180.52 लाख रुपये का व्यय वित्तीय वर्ष में हुआ। शेष राशि समर्पित की गई।

वर्ष 2006–07 में स्वीकृत कार्य योजना अनुसार वित्त विभाग द्वारा 1700 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। वर्ष 2005–06 के अवशेष कार्यों के लिए प्रावधान प्रथम अनुपूरक बजट में किया गया है।

वर्ष 2005–06 के अवशेष कार्य तथा वर्ष 2006–07 के लिए स्वीकृत कुल कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	स्वीकृत योजना अनुसार 2005–06 के अवशेष कार्य		वर्ष 2006–07 के लक्ष्य		वर्ष 2006–07 के लिए कुल आबंटन	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण	324 no.	595.00	259 no.	499.11	583 no.	1094.11
2	वनमार्गो का उन्नयन	60 km.	420.00	66 km.	481.80	126 km.	901.80
	वन्य प्राणी विकास						
	(i) नंदन वन एवं कानन पेंडारी का विकास		44.94	7 works	50.00		94.94
	(ii) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास		85.53		205.00		290.53
4	असीमांकित संरक्षित वनों का सीमांकन	23700 pillars	260.70	25100 pillars	288.65	48800 pillars	549.35
5	वन विद्यालयों में प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास		62.00	16 works	118.00		180.00

क्र.	योजना	स्वीकृत योजना अनुसार 2005—06 के अवशेष कार्य		वर्ष 2006—07 के लक्ष्य		वर्ष 2006—07 के लिए कुल आबंटन	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
1	2	3	4	5	6	7	8
6	वन अनुसंधान	3 works (part)	15.30	3 works (part)	15.44	3 works	30.74
7	रोपणियों का विकास	6 nurseries (part)	6.01	6 nurseries (part)	12.00	6 nurseries	18.01
8	कार्य आयोजना वनमंडल एवं एफ.एम.आई.एस. वनमंडल का सुदृढ़ीकरण		30.00		30.00		60.00
	योग		**1519.48**		**1700.00**		**3219.48**

दिसम्बर 2006 तक रुपये 916.10 लाख का व्यय भारित हुआ है।

1.4.5.13 राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (विगत 3 वर्षों की उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण)

राज्य योजनाएं

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना का नाम	2003.04		2004.05		2005.06	
		बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	बिगड़े वनों का सुधार	1189.00	1214.96	1280.00	1261.90	1975.00	1973.18
2	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	291.00	281.68	275.00	268.00	300.00	295.18
3	बोना तथा पौधा लगाना	379.00	391.71	390.00	392.72	425.00	415.13
4	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	1650.00	1621.67	1704.00	1597.14	1200.00	185.85
5	वन विकास उपकर निधि से व्यय	1000.00	912.02	1000.00	1017.55	1300.00	1278.22
6	सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य	330.00	352.10	540.00	542.09	720.00	712.81
	योग	**4839.00**	**4774.14**	**5189.00**	**5079.40**	**5920.00**	**4860.37**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना का नाम	2003.04			2004.05			2005.06		
		बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	(6539) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	233.60	197.33	275.06	487.00	279.16	258.91	528.00	375.80	344.84
2	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा योजना	217.40	217.40	94.70	822.79	718.48	728.97	800.00	104.31	77.17
3	(3730) प्रोजेक्ट टाईगर	99.50	80.25	91.52	207.00	69.98	8.43	166.00	87.02	46.48
4	क्षेत्र अभिमुख जलाउ लकड़ी एवं चारा कार्यक्रम	44.70	31.20	29.36	16.50	16.34	15.18	0	0	
	योग	**595.2**	**526.18**	**490.64**	**1533.29**	**1083.96**	**1011.49**	**1494.00**	**567.13**	**468.49**

1.4.5.14 आबंटन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2006–07 में बजट प्रावधान एवं दिसम्बर 2006 तक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि रुपये लाख में)

मद	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	दिसम्बर 2006 तक व्यय
मांग संख्या 10–2406 आयोजना	7715.17	6343.37	2296.05
मांग संख्या 41–2406 आयोजना	3847.82	3496.75	967.15
मांग संख्या 64–2406 आयोजना	595.00	595.00	149.75
योग	**12157.99**	**10435.12**	**3412.95**

आयोजना – बजट प्रावधान, उपलब्ध राशि एवं व्यय राशि (योजनावार) – वित्तीय वर्ष 2006–07

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	कुल व्यय राशि दिसम्बर 06
1	2	3	4	5
1	(2723) – प्रशासन सुदृढ़ीकरण	104.00	104.00	65.00
2	(6025) – वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	10.00	10.00	6.12
3	(2536) – पर्यावरण वानिकी	325.00	325.00	187.56
4	(2965) – बिगड़े वनों का सुधार	2125.00	2125.00	616.71
5	(5089) – राज्य में वानिकी अनुसंधान	26.00	26.00	7.00
6	(6723) – संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	60.00	60.00	14.08
7	(1004) – नदी तट वृक्षारोपण योजना	132.00	132.00	51.95
8	(1902) – तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	350.00	350.00	140.97
9	(2533) – हरियाली प्रसार योजना	150.00	150.00	32.97
10	(2534) – पौधा प्रदाय योजना	105.00	105.00	17.60
11	(3044) – बोना तथा पौधा लगाना	500.00	500.00	95.27
12	(5503) – राजीव गांधी बैम्बू मिशन	500.00	500.00	60.24
13	(7563) – अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	1145.00	1145.00	520.57
14	(5420) – राज्य औषधि वनस्पति मंडल की स्थापना	70.00	70.00	36.19
15	(6725) – यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	301.00	0.00	0.00
16	(792) – कर्मचारी कल्याण योजना	35.00	35.00	13.25
17	(3943) – वनजीवों को संरक्षण एवं विकास	200.00	200.00	52.05
18	(6722) – मगरमच्छ संरक्षण योजना	70.00	70.00	49.90
19	(6540) – चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन	75.00	75.00	70.00
20	(6792) – लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना	284.17	0.00	0.00

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	कुल व्यय राशि दिसम्बर 06
1	2	3	4	5
21	(6793) – जैव विविधता बोर्ड की स्थापना	1.00	0.00	0.00
22	(6699) – वन विकास उपकर निधि से व्यय	1300.00	1300.00	588.42
23	(646) – वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	60.00	60.00	
24	(6539) – राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	790.00	290.04	161.56
25	(5502) – प्रोजेक्ट एलिफेंट	64.00	45.00	11.31
26	(4342) – सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	720.00	720.00	172.09
27	(1859) – राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना	50.00	50.00	50.00
28	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा योजना	800.00	533.33	50.74
29	(6516) – ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज/ औषधी रोपण	550.00	550.00	176.05
30	(4475) – सामाजिक वानिकी	75.00	75.00	3.29
31	(5091) – लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	175.00	175.00	106.29
32	(6724) – बांस वनों का पुनरोद्धार	400.00	400.00	17.89
33	(5090) – जैव विविधता का संरक्षण	11.00	11.00	0.00
34	(3874) – वन ग्रामों का विकास	100.00	0.00	0.00
35	(3730) – प्रोजेक्ट टायगर	166.00	15.75	11.88
36	(6771) – अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व का विकास	126.82	70.00	26.00
37	(5231) – लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	200.00	158.00	0.00
38	(5167) – वनोपज संग्रहण हेतु गोदामों का निर्माण	2.00	0.00	0.00
	योग	**12157.99**	**10435.12**	**3412.95**

1.4.6 संयुक्त वन प्रबंधन

1.4.6.1 संयुक्त वन प्रबंधन की अद्यतन स्थिति:—

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का आधार बनाया गया है। प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में वनक्षेत्रों की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित हैं। राज्य शासन के संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी संकल्प अक्टूबर 2001 के अनुसार इन ग्रामों में वनों के घनत्व के आधार पर वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है।

वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन — सहयोग प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन का संकल्प — 2001 तथा यथा संशोधित संकल्प — 2002 जारी किया गया है जिसके अंतर्गत निम्न 2 प्रकार की समितियों के गठन का प्रावधान है:—

(क) सघन वन क्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में वन सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा।

(ख) अनुच्छेद (क) में दर्शाये ग्रामों को छोड़कर बिगड़े वन क्षेत्रों में वन खंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया जाएगा।

सम्प्रति राज्य में 7820 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772.389 वर्ग किमी. में से 36886 वर्ग किमी. क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

1.4.6.7. वन विकास अभिकरण की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति

क्र.	वन विकास अभिकरण का नाम	सवप्र समितियों की संख्या	कुल आर्थिक लक्ष्य (राशि लाख में)	कुल भौतिक लक्ष्य (हे.में)	कुल भौतिक उपलब्धि (हे. में)	कुल विमुक्त राशि (दिस. 2006 तक)	कुल व्यय (राशि लाख में)	कुल प्राप्त मानव दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बस्तर	11	166.17	1200	1.200	137.51	134.62	214612
2	सुकमा	48	163.69	1200	1200	106.00	88.06	80000
3	बीजापुर	29	106.18	725	725	51.00	51.00	69388
4	दंतेवाड़ा	24	95.91	700	698	81.00	20.50	26547
5	महासमुन्द	30	115.28	750	750	102.66	102.51	80000
6	पूर्व रायपुर	30	262.67	1800	1800	224.00	221.62	147103
7	उदन्ती	30	150.00	800	800	125.00	124.39	67400
8	रायपुर सामान्य	30	253.89	1500	1500	247.10	218.58	836761
9	धमतरी	87	560.67	3000	3000	543.63	514.83	803348
10	राजनांदगांव	69	517.26	2500	2200	309.84	260.04	257915
11	कवर्धा	20	353.12	1970	1970	225.00	224.36	265493
12	दुर्ग	38	257.10	1900	1025	113.00	80.80	57737
13	खैरागढ़	27	227.38	1300	1300	145.00	143.60	18440
14	दक्षिण सरगुजा	35	180.54	1050	1050	153.00	153.00	110020
15	उत्तर सरगुजा	30	180.54	1050	1050	143.00	135.77	105760
16	कोरिया	30	367.29	2000	2000	308.38	227.10	268573
17	जशपुर	32	223.92	1369	1369	183.00	147.96	168981
18	पूर्व सरगुजा	30	161.37	900	900	143.73	124.80	82119
19	मनेन्द्रगढ़	30	177.38	1050	1050	125.83	103.80	123718

राज्य में गठित कुल समितियों की वृत्तवार संख्या, उन्हें आबंटित किया गया वन क्षेत्र हे0 में, दक्षतापूर्वक कार्यरत समितियों का विवरण एवं क्षेत्रफल निम्नानुसार है:—

वृत्त का नाम	गठित कुल समितियों की संख्या				गठित समितियों में दक्षतापूर्वक कार्यरत कुल समितियों की संख्या			
	वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति		वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति	
	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)
बिलासपुर	533	391422.258	880	311081.403	254	176036.487	406	161634.760
दुर्ग	582	296050.706	420	117698.473	77	31516.096	108	24602.225
कांकेर	916	451258	225	46576	297	154985.310	72	25028.352
जगदलपुर	499	319613.49	328	84248.987	230	158277.769	167	48606.808
रायपुर	605	298663.086	622	132491.345	457	154800.757	514	94450.673
सरगुजा	839	394874.9	1371	432071	165	67976.857	174	56833.140
कुल	**3974**	**2151882.44**	**3846**	**1124167.203**	**1186**	**743593.276**	**1233**	**411155.958**

1.4.6.2 संयुक्त वन प्रबंधन पर राज्य शासन का संकल्पः—

राज्य शासन द्वारा पारित संयुक्त वन प्रबंध के संशोधित संकल्प अक्टूबर 2002 के अनुसार वन सुरक्षा कार्यों के एवज में जिला स्तरीय वन अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर कि निर्दिष्ट समिति द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का कार्य संतोषप्रद रुप से किया जा रहा है, समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त करने का अधिकार बनता है:—

वन सुरक्षा समिति को आबंटित वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप बांस या काष्ठ कूप के मुख्य पातन / वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि अथवा 15 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद या 15 प्रतिशत मूल्य की सीमा तक राशि एवं वनोत्पाद समिति को प्रदाय किया जावेगा। वनोपज प्रदाय की दशा में प्रदाय की जाने वाली वनोपज के विदोहन पर हुए व्यय के तुल्य राशि या वनोपज की मात्रा कम कर दी जायेगी। कूप में वनोत्पाद के मूल्य की गणना गैर वाणिज्यिक दरों के आधार पर होगी।

ग्राम वन समिति को आबंटित बिगड़े वन क्षेत्र के सुधार हेतु पुर्नवास कार्य किये जाने पर प्राप्त होने वाली वनोपज एवं पुर्नवास किये गये क्षेत्र के मुख्य पातन या वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद के स्थल पर कुल कीमत की 30 प्रतिशत राशि अथवा 30 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद या 30 प्रतिशत मूल्य की सीमा तक राशि एवं वनोत्पाद समिति को प्रदाय किया जावेगा। वनोपज प्रदाय की दशा में प्रदाय की जाने वाली वनोपज के विदोहन पर हुए विदोहन व्यय के तुल्य राशि या वनोपज की मात्रा कम कर दी जायेगी।

मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समितियों को यह लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के गठन अर्थात 01.11.2000 से दिया जाना है। वनों की सुरक्षा के एवज में वनों में उत्पादित काष्ठ एवं बांस में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के हिस्से की वनोपज का मूल्य रूपये 7.85 करोड़ का भुगतान समितियों को वित्तीय वर्ष 2004–05 मे किया गया है। इस प्रकार राज्य गठन के पश्चात् राशि 25.38 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

समिति को वन सुरक्षा कार्यों में उत्तरदायी बनाने के लिए संकल्प में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है।

संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं:–

- वनों के संरक्षण एवं विभागीय कार्यो में समिति के सदस्यों की पूर्ण सहभागिता।
- समितियों के स्वयं के प्रयास से आय वर्धक कार्यों को सृजन कराना, समिति की अर्थिक दशा सुधारना, आस्था मूलक कार्यो, वन सुरक्षा निधि तथा समिति के प्रयासों से प्राप्त आय का लेखा – जोखा नियमित कराना तथा उसका वार्षिक अंकेक्षण कराना।
- समिति क्षेत्र में शिक्षित युवक को लेखा कार्य में प्रशिक्षित कराना।
- समिति के पास संचित निधि के उपयुक्त उपयोग हेतु समिति सदस्यों की सहमति से विभिन्न कार्यक्रम चलाने हेतु प्रेरित करना।
- समिति क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के आनुपातिक विकास के प्रयत्न निरंतर करना। इस उदेश्य से धमतरी जिले में वनमंडलाधिकारी धमतरी एवं वन विभाग के मार्गदर्शन में इन पिछडे ग्रामों में ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के बजट से विकास कार्य करने के संबंध में राज्य मंत्री – परिषद द्वारा 14.05.2002 को निर्णय लिया गया एवं शासनादेश 15.7.2002 द्वारा क्रियान्वयन के आदेश प्रसारित हुए।

- ➢ वनमंडलाधिकारी धमतरी वन से 5 कि.मी. की दूरी तक के ग्रामों के विकास हेतु अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी नियुक्त।
- ➢ संकल्प के अनुसार ग्रामीणों को वनोपज प्रदाय करना।

1.4.6.3 लोक संरक्षित क्षेत्रः—

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदेश के समस्त 32 वनमण्डलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला का विकास किया जा रहा है।

लोक संरक्षित क्षेत्र की दृष्टि, क्षेत्र एवं उद्देश्य निम्नानुसार हैः—

दृष्टिः

लोक संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा, एक ऐसी जन—केन्द्रित व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है ताकि यह क्षेत्र, गरीब जनता के संसाधन निर्मित होकर, गरीबी उन्मूलन तथा अच्छे जीवन की रूप—रेखा बना सके।

मूल्यः

1. वन वासियों एवं उनके पारपरिक ज्ञान का सर्वोच्च मान सम्मान।
2. संसाधन सुरक्षा में सहयोग एवं भागीदारी।
3. सभी स्तरों पर क्षमताओं का विकास।
4. स्थानीय तकनीक का उन्नयन, एवं अत्याधुनिक सूचना तकनीकी का उपयोग।

उद्देश्यः

1. समुदाय के सहयोग से वनों हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना विकसित करना।
2. प्राकृतिक स्त्रोतो के आंकलन हेतु विशिष्ट विधि विकसित करना।
3. वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विनाशविहीन दोहन।
4. अन्तः स्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं विस्तार।
5. वन एवं स्वच्छ जल।
6. लघु वनोपज का श्रेणीकरण, प्रसंस्करण (साफ करना सुखाना आदि) प्रमाणीकरण एवं विपणन।
7. प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा।
8. जैव सांस्कृतिक भिन्नता संरक्षण, जैविक भिन्नता पूर्वेक्षण एवं जैव साझेदारी का विकास।
9. उद्यमिता का विकास।
10. लोक निजी सहभागिता।
11. ग्रामीणों के बचत समूहों में कोष निर्माण।
12. महिलाओं का सशक्तिकरण।
13. लाभ का समान वितरण व्यवस्था।
14. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन।
15. खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
16. सामाजिक पूंजी का उपयोग।
17. उपरोक्त तथ्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम नीति एवं विधिक संरचना का विकास।

इस कार्यक्रम को वर्ष 2001 से लागू किया गया है एवं वर्ष 2005 तक 1,47,600 हेक्टर क्षेत्र एवं सितम्बर 2006 में 42,900 हेक्टेयर क्षेत्र; इस तरह कुल 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में लोक संरक्षित क्षेत्रों की अन्तःस्थलीय संवर्धन एवं 208 हे0 क्षेत्र में बाह्य स्थलीय संवर्धन का कार्य किया जा चुका है। इस कार्य में रू. 2888.428 लाख व्यय किये गये हैं। इसके अलावा लोक संरक्षित क्षेत्र में प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण तथा 39 वन औषधालयों की स्थापना भी इस योजना के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा वनांचल के 3220 रहवासियों एवं वन कर्मियों को अकाष्ठीय वनोपज का विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन आदि पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण वन विद्यालय महासमुन्द, जगदलपुर एवं सक्ती में दिया गया है।

1.4.6.4 लोक निजी सहभागिता:—

जिन ग्राम वन समितियों द्वारा अपने स्तर पर वित्तीय संस्थानों / बैंकों से नगद या सामग्री के रूप में ऋण प्राप्त कर अथवा राहत कार्य या अन्य रोजगारमूलक कार्यो हेतु प्राप्त राशि में से बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम के अतर्गत रोपण हेतु पूँजी लगाने की व्यवस्था की जायेगी उन समितियों को आबंटित क्षेत्र के माइक्रोप्लान के अनुसार वृक्षारोपण / बिगड़े वनों के सुधार कार्य करने एवं उनकी सुरक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बिगड़े वनों के सुधार कार्य / वृक्षारोपण से तैयार वृक्षों की परिपक्वता पर कटाई से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण वनोपज दे दी जायेगी जिसे समिति निवर्तित कर सकेगी एवं निर्वतन से प्राप्त राशि में से रोपण हेतु लगाई गई पूंजी, पूंजी पर ब्याज तथा अन्य कोई देनदारी हो, को घटाने के उपरान्त शेष बची राशि की 50 प्रतिशत राशि ग्राम वन समिति की आमसभा के निर्णय के अनुसार उपयोग की जायेगी तथा 30 प्रतिशत राशि ग्राम वन समिति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास हेतु तथा 20 प्रतिशत राशि वन संसाधनों के विकास हेतु ग्राम वन समिति के माइक्रोप्लान के अनुसार उपयोग की जावेगी।

लोक निजी सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003—04 में तीन वृत्त में 23 समितियों के अंतर्गत 600 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा वर्ष 2004—05 में 5 वृत्त में 65 समितियों के अंतर्गत 911 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया हैं।

1.4.6.5 धमतरी मॉडल:—

धमतरी मॉडल के अन्तर्गत धमतरी जिले में वन सीमा से 5 किमी. की परिधि के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों का समग्र विकास, सभी विकास विभागों के संयुक्त सोच से करने हेतु एक अभिनव पहल (योजना) है, जिसमें वन विभाग बगैर किसी विभाग के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए विकास कार्यो से संबंधित हर संभव सुविधा कराने हेतु नोडल एजेन्सी है।

योजना के मुख्य बिन्दु:—

- भारत सरकार से जिला पंचायत के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि को वन से 5 कि.मी. की दूरी में स्थित ग्रामों के विकास हेतु उपयोग करने के लिए पंचायत नियमों में बगैर किसी संशोधन के वनमंडलाधिकारी धमतरी को पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी घोषित कर तथा वन विभाग को इन ग्रामों के विकास हेतु नोड़ल एजेंसी घोषित किया गया।

- धमतरी जिले में स्थित कुल 641 ग्रामों में से वन सीमा से 5 कि.मी. परिधि के अंतर्गत आने वाले 401 ग्रामों के विकास हेतु जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर विभागवार वन से 5 कि.मी. की दूरी और उससे अधिक दूरी हेतु बजट पृथक – पृथक दिया जा रहा है।
- वन से 5 कि.मी. भीतर एवं 5 कि.मी. के बाहर के विकास कार्यो हेतु जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर ग्राम सभा आधारित पृथक – पृथक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदन किया जा रहा है।
- विभिन्न विकास विभागों द्वारा उपरोक्त कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है किंतु इसका समन्वय वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- निर्माण किये गये विकास कार्यो का सामान्य अनुश्रवण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है किन्तु तकनीकी रूप से अनुश्रवण का कार्य संबधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।
- कलेक्टर धमतरी की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी, वनमण्डलाधिकारी धमतरी के सदस्यता में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।
- विकास खण्ड नगरी एवं मगरलोड के लिए वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा नियुक्त किया गया।
- धमतरी मॉडल के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय तथा विकास खण्ड स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है।

1.4.6.6 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमः—

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों के सतत् विकास हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य

के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। समन्वय के अभाव में विभिन्न विभागों / संस्थाओं द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में वांछित सफलता नहीं मिल रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वन विकास अभिकरण Forest Development Agency (FDA) का गठन किया जाकर इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित है।

राज्य के 32 वनमंडलों में से सभी वनमंडलों में वन विकास अभिकरणों के गठन हो चुके है तथा समस्त 32 वन विकास अभिकरणों के प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं।

इन परियोजनाओं जिसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का नाम दिया गया है, के अंतर्गत संबंधित वनमंडलों में बिगडे वनों का सुधार, बांस रोपण, वन औषधि रोपण, जलाऊ एवं चारागाह विकास का कार्य किया जा रहा है। महासमुन्द एवं बस्तर वन मंडल में यह प्रोजेक्ट 9 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था। 10 वन मंडलों में यह 10 वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002—03 से 2006—07 पांच वर्ष के लिए, 14 वन मंडलों में वर्ष 2003—04 से 2006—07 चार वर्ष के लिए, वर्ष 2005—06 से 2006—07 तक तीन वर्ष के लिए 3 वनमंडल, वर्ष 2005—06 से 2006—07 दो वर्ष के लिए 2 वनमंडल तथा वर्ष 2006—07 एक वर्ष के लिए 1 वनमंडल के परियोजना स्वीकृत हुये हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में एफ.डी.ए. के माध्यम से कराये जा रहे वानिकी एवं सामुदायिक कार्यो को ''वनों का संवहनीय विकास संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से'' नाम दिया गया है। प्रदेश के इन 32 वन मंडलों में कुल 1069 ग्राम वन समितियों / वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से 42514 हे0 में वृक्षारोपण विभिन्न मदों में किया जावेगा। अभी तक भारत सरकार द्वारा इस हेतु 57 करोड़ 19 लाख 63 हजार रूपये विमुक्त किया गया है जिसमें से माह सितंबर, 2006 तक 50 करोड़ 21 लाख 62 हजार रुपये व्यय हुआ है एवं सितंबर 2006 तक 41007 हे0 में वृक्षारोपण किया जा चुका है।

क्र.	वन विकास अभिकरण का नाम	सवप्र समितियों की संख्या	कुल आर्थिक लक्ष्य (राशि लाख में)	कुल भौतिक लक्ष्य (हे.में)	कुल भौतिक उपलब्धि (हे. में)	कुल विमुक्त राशि (दिस. 2006 तक)	कुल व्यय (राशि लाख में)	कुल प्राप्त मानव दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बस्तर	11	166.17	1200	1,200	137.51	134.62	214612
2	सुकमा	48	163.69	1200	1200	106.00	88.06	80000
3	बीजापुर	29	106.18	725	725	51.00	51.00	69388
4	दंतेवाड़ा	24	95.91	700	698	81.00	20.50	26547
5	महासमुन्द	30	115.28	750	750	102.66	102.51	80000
6	पूर्व रायपुर	30	262.67	1800	1800	224.00	221.62	147103
7	उदन्ती	30	150.00	800	800	125.00	124.39	67400
8	रायपुर सामान्य	30	253.89	1500	1500	247.10	218.58	836761
9	धमतरी	87	560.67	3000	3000	543.63	514.83	803348
10	राजनांदगांव	69	517.26	2500	2200	309.84	260.04	257915
11	कवर्धा	20	353.12	1970	1970	225.00	224.36	265493
12	दुर्ग	38	257.10	1900	1025	113.00	80.80	57737
13	खैरागढ़	27	227.38	1300	1300	145.00	143.60	18440
14	दक्षिण सरगुजा	35	180.54	1050	1050	153.00	153.00	110020
15	उत्तर सरगुजा	30	180.54	1050	1050	143.00	135.77	105760
16	कोरिया	30	367.29	2000	2000	308.38	227.10	268573
17	जशपुर	32	223.92	1369	1369	183.00	147.96	168981
18	पूर्व सरगुजा	30	161.37	900	900	143.73	124.80	82119
19	मनेन्द्रगढ़	30	177.38	1050	1050	125.83	103.80	123718

क्र.	वन विकास अभिकरण का नाम	सवप्र समितियों की संख्या	कुल आर्थिक लक्ष्य (राशि लाख में)	कुल भौतिक लक्ष्य (हे. में)	कुल भौतिक उपलब्धि (हे. में)	कुल विमुक्त राशि (दिस., 2006 तक)	कुल व्यय (राशि लाख में)	कुल प्राप्त मानव दिवस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	दक्षिण कोन्डागॉव	31	306.12	1600	1600	278.17	236.51	232343
21	उत्तर कोन्डागॉव	30	199.12	1000	1000	160.00	145.64	46775
22	कांकेर	23	204.02	1150	1150	166.00	144.15	100694
23	पश्चिम भानुप्रतापपुर	22	157.70	1100	1100	127.00	114.10	118985
24	पूर्व भानुप्रतापपुर	20	100.52	800	800	53.00	32.83	39402
25	नारायणपुर	23	131.69	1000	1000	55.00	25.37	24849
26	मरवाही	57	309.75	1500	1500	294.66	233.38	235484
27	कटघोरा	30	284.56	1500	1500	246.00	244.49	212238
28	कोरबा	30	284.41	1500	1370	192.00	189.00	141147
29	बिलासपुर	25	177.70	1000	1000	151.12	119.84	34036
30	रायगढ़	61	311.59	1500	1500	228.00	179.59	233435
31	धरमजयगढ़	45	274.25	1500	1300	190.00	186.74	106712
32	जांजगीर–चांपा	12	121.10	600	600	111.00	92.44	75463
योग		**1069**	**7382.89**	**42514**	**41007**	**5719.63**	**5021.62**	**5551498**

प्रशिक्षणः—

वित्तीय वर्ष 2006–07 में समितियों के सशक्तिकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु समिति सदस्यों का तथा क्षमता विकास हेतु वन कर्मचारियों / अधिकारियों के लगभग 500 सत्र आयोजित किये गये हैं जिससे नई चेतना जागृत हुई है।

अमलीपारा समिति – धमतरी वनमंडल
कार्य का नाम – सोलर पंप एवं पानी टंकी
लागत 99 हजार रूपये, लाभान्वित परिवार – 43

गोलाझार समिति – रायपुर सामान्य वनमंडल
कार्य का नाम – पानी टंकी
लागत 1 लाख 72 हजार रूपये, लाभान्वित परिवार – 60

तेन्दुचूआ समिति – रायपुर सामान्य वनमंडल
कार्य का नाम – तालाब निर्माण
लागत 60 हजार रूपये, लाभान्वित परिवार – 23

सांकरा समिति – धमतरी वनमंडल
कार्य का नाम – केचुआ खाद निर्माण
लागत 1 लाख रूपये, लाभान्वित परिवार – 65

1.4.7 वन संरक्षण

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण से जुडे अमले का क्षमता विकास, अग्नि सुरक्षा के साधनों का विकास, स्थानीय ग्रामीणों को वन सुरक्षा के कार्यो से जोड़े जाने जैसे कार्यो को प्राथमिकता दी गई है। विभाग की नियामक प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही साथ ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करने के भी प्रयास किये गये हैं।

राज्य में वन सुरक्षा के लिए अधोसंरचना विकास हेतु भारत सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये गये हैं। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2005–06 में एकीकृत वन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश प्राप्त एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
2005–06	एकीकृत वन सुरक्षा	800	104.31	104.31	75.71
2006–07	–'–	800	687.80	पिछला बचत 28.60 नया 371.40 400.00	प्रगति पर है

वनों की सुरक्षा, संचार सुविधाओं की दृष्टि से मुख्यतः निम्न मदों पर व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 में किया गया है:–

अ. क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	राशि लाख में
1	*2*	*3*	*4*
1	वन रक्षक आवास	23	36.51
2	वाहनों का क्रय	4	16.00
3	कम्प्यूटर, प्रिन्टर सहित	3	2.35

1.4.7.1 राज्य में आरा मशीन की स्थिति

राज्य में विभिन्न वन वृत्तों में कुल 1420 आरा मशीनें पंजीकृत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरा मशीनों के संबंध में दिये गये अंतरिम निर्णय के प्रकाश में, राज्य में किसी भी नये आरा मशीन का वर्ष 1997 के पश्चात् से अनुज्ञप्ति जारी नही की गई है।

अनुक्रमांक	वृत्त का नाम	आरा मशीनों की संख्या
1	रायपुर	519
2	दुर्ग	394
3	कांकेर	18
4	जगदलपुर	61
5	बिलासपुर	363
6	सरगुजा	65
	योग	1420

आरा मशीनों का नियमित निरीक्षण किये जाने के लिए निरीक्षण रोस्टर वनमंडल स्तर पर बनाया जाता है तथा आरा मशीनों का निरीक्षण किया जाता है। किसी आरा मशीन में अनियमितता पाये जाने पर छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम,1984 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के तहत आरा मशीन स्वामी के ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

1.4.7.2 अवैध वन कटाई एवं अवैध शिकार के रोकथाम हेतु चेकिंग व्यवस्था

वन क्षेत्रों में वनोपज की अवैध निकासी को नियंत्रित करने एवं अन्य वन अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य के अंदर कुल 330 एवं अंतर्राज्यीय 35 वनोपज जांच नाके स्थापित किये गये है। इन जांच नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है तथा वनोपज लदे वाहनों से संबंधित जानकारियों को अभिलेखित भी किया जाता है। बिना परिवहन अनुज्ञा पत्र के वनोपज परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्व सुसंगत अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है।

1.4.7.3 वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति

वन भूमि पर अतिक्रमण की दृष्टि से वृत्त एवं वन मंडल स्तर पर उड़नदस्ता का गठन किया गया है। राजस्व, पुलिस एवं वन कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर वन भूमि से अतिक्रमण रोकने, अपात्र अतिक्रामकों की बेदखली की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार की जा रही है। सामूहिक रूप से वन भ्रमण करने से अतिक्रमणों में कमी आई है। जून 2006 की स्थिति में वन भूमि पर निम्नानुसार अतिक्रमण शेष है :—

वृत्त	अतिक्रमण के कुल प्रकरण	अतिक्रामकों की कुल संख्या	आरक्षित वनक्षेत्र (हेक्टेयर में)	संरक्षित वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	योग अतिक्रमण (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
बिलासपुर	8085	9704	1033.722	6029.480	7063.202
रायपुर	1460	3558	2277.241	447.983	2725.224
दुर्ग	3782	3970	1171.899	3408.148	4580.047
जगदलपुर	6287	11971	7754.734	3903.123	11657.857
कांकेर	5903	21312	11777.946	5348.915	17126.861
सरगुजा	11912	14791	3212.672	10124.404	13337.076
कुल योग	**37429**	**65306**	**27228.214**	**29262.053**	**56490.267**

1.4.7.4 अवैध कटाई की स्थिति

वनों की सुरक्षा के लिए वनमंडल स्तर पर बीट निरीक्षण रोस्टर बनाये गये है जिसमें सहायक परिक्षेत्राधिकारी से लेकर वनमंडलाधिकारी तक को प्रतिमाह बीट निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। बीट निरीक्षण में पायी जाने वाली अवैध कटाई एवं अन्य वन अपराध प्रकरणों का संज्ञान वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेकर त्वरित कार्यवाही की जाती है। वनों की अवैध कटाई एवं निकासी की रोकथाम के लिए चेकिंग बेरियरों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है।

1.4.7.5 दिनांक 30 जून 2004 तक पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों की समाप्ति

मंत्री परिषद बैठक दिनांक 14/10/2005 द्वारा जनहित में लिये गये निर्णय के तहत भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत 30/06/2004 तक के छोटे–छोटे वन अपराध पंजीकृत 2,06,050 प्रकरणों में अधिरोपित मावजा/महसूल की राशि 12,76,61,625/– को अपलेखन करते हुए वन अपराध प्रकरणों को समाप्त किया गया।

1.4.8 भू–सर्वे एवं वन संरक्षण अधिनियम

1.4.8.1. वन भूमि अतिक्रमण व्यवस्थापन :–

छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31/12/1976 तक एवं दिनांक 01/01/1977 से 06/03/1979 तक के पात्र 17746 एवं 34107 कुल 51853 अतिक्रामकों के व्यवस्थापन हेतु कुल 97766.381 हे. क्षेत्र के विरूद्ध 97774.000 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण पूर्ण कर लिए गए है।

दिनांक 07/03/1979 से दिनांक 24/10/1980 तक के अतिक्रामकों को जिन्हे भारत सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया था, उनके संबंध में पुनः विचार हेतु छ.ग. शासन, वन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 191 दिनांक 23/02/2004 के द्वारा भारत सरकार को लेख किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर भी की गई है।

1.4.8.2 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रकरण :—

❖ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :—

- ❖ राज्य निर्माण उपरांत 6 वर्ष की अल्प अवधि में कुल 127 (सिचाई 37, खनिज 40 , विद्युत 17, खनिज पूर्वेक्षण 20 एवं अन्य विविध 13) परियोजनाओं की केन्द्र शासन GOI (MoEF) से स्वीकृति प्राप्त हेई है ।

- ❖ छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम—1980 के तहत दिसम्बर 2006 की स्थिति में कुल 278 परियोजनाओं के वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव विभिनन्न स्तर पर लंबित है जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क.	श्रेणी विवरण	संख्या
1	सिंचाई	80
2	खनिज	93
3	पूर्वेक्षण	16
4	विद्युत	37
5	विविध अन्य	52
:: योग ::		278

1.4.8.3 वनग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन :–

छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 425 वनग्रामों में से 420 वनग्रामों (5 वनग्राम वीरान) को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/04/2002 एवं दिनांक 14/04/2002 को प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में भारत के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग कवर्धा, कांकेर, दंतेवाड़ा बस्तर एवं कोरिया जिलों का निरीक्षण का कार्य किया गया है, एवं शेष जिलो के स्थल निरीक्षण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को लेख किया गया। इस संबंध में दिनांक 30/01/2004 को वन सलहाकार समिति के समक्ष प्रकरण को विचार हेतु रखा गया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है।

1.4.8.4 नांरगी वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति :–

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र कंमाक एफ 5/43/90/10–3/96 दिनांक 14/05/1996 के अनुसार ही छत्तीसगढ़ राज्य में 14 नारंगी क्षेत्र की सर्वेक्षण एवं सीमांकन इकाईयों द्वारा प्रथम चरण में कुल 1222157.480 हे0 नांरगी क्षेत्र का प्रांरभिक सर्वेक्षण कर 785195.205 हे0 नांरगी क्षेत्र वन प्रबंधन के अनुपयुक्त एवं 43696.275 हे. क्षेत्र आरक्षित वन बनाने हेतु उपयुक्त पाया गया। आज दिनांक तक 4.37 लाख हे. उपयुक्त पाये गये नारंगी क्षेत्र में से 2.50 लाख हे. नांरगी क्षेत्र की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना प्रस्ताव प्रकाशन हेतु शासन को भेजे गए थे, जो कुछ त्रुटियो के कारण वापिस किये गए एवं समस्त प्रस्ताव जांच पड़ताल उपरांत प्रकाशन हेतु पुनः शासन को 191941.519 हे. क्षेत्र के प्रस्ताव भेजे गए हैं। शेष क्रमशः भेजे जा रहे हैं।

1.4.8.5 राज्य में वन एवं राजस्व भूमि सीमा विवाद की अद्यतन स्थिति:–

- वन मंडलों एवं वन वृत्तो के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 1295 ग्रामों मे उक्त सीमा विवाद है जिनमें से विवाद के निराकरण हेतु नक्शे मे संशोधन कर सीमा सुधार का कार्य 1975 प्रकरण में पूर्ण कर, राजस्व विभाग के मूल बन्दोबस्त नक्शे में 1964 प्रकरण मे वन सीमा चढ़ाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन सुधारे हुए नक्शों के आधार पर 1732 प्रकरण मे सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

सीमा विवाद के निराकरण के लिए कुल 2276 कृषि पट्टे रकबा 2468. 271 हे. निरस्त किये गये इसी प्रकार उत्खनन के 11 पट्टे = 23.871 हे0 निरस्त किये गये एवं कुल आवासीय 74 पट्टे, 1.648 हे. निरस्त किए गए। वन एवं राजस्व भूमि सीमाविवाद के त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तर पर भी एक समन्वय समिति बनाई गई है।

1.4.9 कार्य आयोजना

- कार्य–आयोजना वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर वनों के प्रबंधन का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अभिलेख होता है एवं इसमें दिये गये प्रावधानों के अनुसार वनों का प्रबंधन किया जाता है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में 59772 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.2 प्रतिशत है।
- कार्य–आयोजना कक्ष का मुख्य कार्य प्रदेश के आरक्षित एवं संरक्षित वनों के प्रबंधन हेतु शासन की नीतियो एवं छत्तीसगढ़ राज्य की नई वन नीति के अनुसार तकनीकी आधार पर कार्य–आयोजना तैयार किया जाना सुनिश्चित करना है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोदावर्मन प्रकरण में दिए गए निर्देशानुसार किसी भी वन क्षेत्र में केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमोदित कार्य–आयोजना के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह की कटाई प्रतिबंधित है।

वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं विदोहन के लिए केंद्र शासन से अनुमोदित कार्य आयोजना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 कार्य आयोजना इकाईयां वर्तमान में कार्यरत हैं। कुल 32 वनमण्डलों में से 27 वनमण्डलों की कार्य आयोजना भारत सरकार से अनुमोदित है।

वर्तमान में कार्यरत् 5 कार्य आयोजना इकाईयों द्वारा 9 वनमण्डलों की कार्य आयोजना का पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है। ये वनमण्डल हैं :–

1. रायगढ़, 2. धरमजयगढ़, 3. सुकमा, 4. दंतेवाड़ा, 5. उत्तर सरगुजा, 6. दुर्ग, 7. राजनांदगांव, 8. खैरागढ़, 9. कांकेर।

- एक कार्य आयोजना के पुनरीक्षण में औसतन 3 वर्ष का समय एवं लगभग 2200 रूपये प्रतिवर्ग कि.मी. का व्यय आता है।
- वर्तमान में पुनरीक्षित की जा रही कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष है।
- कार्य आयोजना के निर्माण हेतु वर्तमान में उपलब्ध आधुनिकतम तकनीक रिमोट सेंसिंग डाटा ज्योग्राफिकल इनफारमेशन सिस्टम (जी.आई.एस.) का उपयोग कर कार्य आयोजना निर्माण के समय एवं व्यय में कुछ बचत की जा सकेगी।
- राज्य में वानिकी सूचना की आधारभूत जानकारी संधारित करने एवं वन प्रबंधन में तकनीकी सक्षमता बढ़ाने के दृष्टिकोण से वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल रायपुर को आधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से सशक्त किया गया है।
- वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल रायपुर में डिजिटाईजेशन कक्ष स्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न वनमंडलों के वन सन्निधि मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य प्रगति पर है। सभी मानचित्रों में वन कक्ष, कूप, वन के प्रकार, स्थल गुणश्रेणी, घनत्व, प्रजाति एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शाया गया है।
- भारत सरकार द्वारा कार्य आयोजना कोड में दर्शाये गये निर्देशों के अनुसार नया कार्य आयोजना डी.एस.एस. पुनरीक्षण किया गया है।
- DSS Production के कूप एवं डिपो Module तैयार किया गया एवं देवपुर परिक्षेत्र तथा पिथौरा एवं नगरी डिपो में प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया जा रहा है।
- वन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली वनमंडल के द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं वानिकी में इसके प्रयोग पर आधारित प्रशिक्षण भी प्रदाय किया गया है, जिसमें सभी वन वृत्त के कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं मानचित्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नारंगी क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग के लिए नारंगी क्षेत्र में कार्यरत उप वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- वन विभाग की विभिन्न गतिविधियों से योजनाकारों, प्रशासकों, विषय विशेषज्ञों एवं आम जनता को अवगत कराने के लिए एक वेब साईट WWW.cgforest.com प्रारंभ की गयी है।

1.4.10 परियोजना निर्माण एवं अनुसंधान विस्तार

मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित इस शाखा में अनुसंधान परियोजनाओं के निर्माण तथा अनुसंधान संबंधी सभी कार्य है। इस प्रकार यह शाखा राज्य में वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार कार्यक्रम को राज्य के तीनों कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डलों के माध्यम से निर्धारित एवं संचालित करती है।

उद्देश्य :—

- वर्तमान एवं भविष्य के विषयों पर आवश्यकतानुसार अनुसंधान परियोजनाओं का निर्माण ।
- उन्नत तकनीक से उन्नत गुण श्रेणी के बीज तथा पौधे तैयार करना ।
- भूमि एवं जलवायु के अनुसार अनुकूल प्रजातियों का निर्धारण ।
- नर्सरी तकनीक एवं रोपण तकनीक पर अनुसंधान ।
- विभाग द्वारा किये गये रोपण एवं अन्य वानिकी कार्यो का मूल्यांकन अनुश्रवण के आधार पर आवश्यक सुधार एवं भविष्य की रणनीति का चिन्हाकंन ।
- वन सुरक्षा, अग्नि प्रकोप, कीट एवं अन्य प्रकोपों पर अनुसंधान ।
- उन्नत तकनीक का प्रचार, प्रसार प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन ।
- बीज उत्पादन क्षेत्रों एवं बीज उद्यान क्षेत्रों से महत्वपूर्ण प्रजातियों के उत्तम गुण श्रेणी के बीज उत्पादन ।
- अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों में माडल नर्सरी में उच्च गुणवत्ता के पौधों का उत्पादन
- मिस्ट चैम्बर्स एवं पाली प्रोपेगेट्र्स की स्थापना कर यूकेलिप्टस, खमार, सागौन तथा बांस के क्लोनल पौधों का उत्पादन।
- कृषकों, जनप्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को नई तकनीक पर प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन।

अनुसंधान एवं विस्तार कार्यः—

प्रदेश में तीन अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल कार्यरत है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में तीन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए हैं जहॉ युकेलिप्टस, ऑवला, खम्हार, सागौन, बॉस

प्रजातियों के उन्नत किस्मों के पौधे उच्च तकनीक रोपणियों में तैयार किए जा रहे हैं। ये पौधे विभागीय रोपण के अतिरिक्त इच्छुक किसानों को उनके निजी भूमि पर लगाने हेतु उपलब्ध होंगे।

बीज उत्पादक क्षेत्रों तथा बीज उद्यानों में बीज संग्रहणः–

छत्तीसगढ़ राज्य में वनीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जैसे–सागौन, खम्हार नीलगिरी, ऑवला, साजा, बीजा एवं धावड़ा आदि प्रजातियों के 514 हे0 बीज उत्पादक क्षेत्रों का निर्माण, सागौन, खम्हार, सफेद एवं काला सीरस, ऑवला, अकेशिया होलोरेसिया, नीलगिरी इत्यादि प्रजातियों के 193 हे0 में बीजांकुर बीज उद्यान एवं ऑवला, नीलगिरी, सागौन, खम्हार इत्यादि प्रजातियों के 184 हे0 में क्लोनल बीज उद्यान स्थापित किये गये हैं। वर्ष 2006–07 में 27 लाख रूपये का बजट आबंटन किया गया है ।

उच्च गुणवत्ता के बीज संग्रहण के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, जगदलपुर में इस वर्ष 62 कि0ग्रा0 बीज तथा अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, बिलासपुर में 60 क्विंटन सागौन बीज संग्रहित हुआ है।

रोपणियों में महत्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे :–

अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डलों की रोपणियों में महत्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस वर्ष अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डलों, रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में महत्वपूर्ण प्रजातियों के लगभग 34 लाख पौधे तैयार किए गए हैं।

छ0ग0 राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना :–

वनों के विकास एवं उसकी रक्षा के साथ पर्यावरण के अध्ययन की दृष्टि से प्रदेश में वन अनुसंधान विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु एक राज्य स्तरीय "छ0ग0 राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना रायपुर में किया जाना है। वन अनुसंधान को बजट में उचित प्राथमिकता देने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 में संस्थान की स्थापना के लिए रू0 50 लाख बजट प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 मार्च 2006 को रायपुर–बलौदाबाजार मार्ग पर विधान सभा भवन के समीप बरौड़ा क्षेत्र में संस्थान के भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया।

अनुसंधान एवं विस्तार शाखा की भविष्य की योजना :–

- विभाग में अच्छे बीज एवं पौधों से ही रोपण ।
- क्लोनल पौधों का अधिकाधिक उत्पादन तथा किसानों में वितरण ।
- आधुनिक नर्सरियों की प्रत्येक जिले में स्थापना ।
- विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो के आंकलन एवं उसमें समय–समय पर सुधार हेतु सामाजिक शोध संकाय की स्थापना ।
- वनों पर आश्रित ग्रामिणों के आर्थिक उत्थान हेतु आर्थिक शोध शाखा की स्थापना ।
- वन उत्पादों की सुव्यवस्थित मार्केटिंग हेतु मार्केटिंग शोध संकाय की स्थापना ।
- प्रदेश में वनक्षेत्रों के बाहर वानिकी विस्तार हेतु कृषकों को प्रशिक्षण, विस्तार एवं प्रोत्साहन के माध्यम से उच्च एवं नई तकनीक को पहुचाने हेतु वानिकी अनुसंधान विस्तार एवं प्रशिक्षण संकाय की स्थापना ।

1.4.11 वन्यप्राणी संरक्षण

राज्य में वन प्राणियो के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभयारण्य एवं गेम सैंक्चुरी है, जिनका कुल क्षेत्रफल 8022.985 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.82 प्रतिशत तथा वन क्षेत्रफल का 13.42 प्रतिशत है। गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (पूर्ववर्ती म.प्र. के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के सरगुजा / कोरिया जिले में आने वाले क्षेंत्रो को मिलाकर) एवं भोरमदेव अभ्यारण्य की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् हुई है।

1.4.11.1 राष्ट्रीय उद्यान :

क्र	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1.	इन्द्रावती	दन्तेवाड़ा	बीजापुर	जगदलपुर	1258.372
2.	कांगेर घाटी	बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	200.00
3.	गरूघासी दास	सरगुजा/ कोरिया	बैकुण्ठपुर	सरगुजा	1440.705
	योग				2899.077

1.4.11.2अभ्यारण्य :

क्र	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1.	अचानकमार	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	551.552
2.	बादलखोल	जशपुर	जशपुर	सरगुजा	104.454
3.	गोमार्डा	रायगढ़	रायगढ़	बिलासपुर	277.820
4.	बारनवापारा	रायपुर	रायपुर	रायपुर	244.660
5.	उदन्ती	रायपुर	रायपुर	रायपुर	247.590
6.	सीतानदी	धमतरी	धमतरी	रायपुर	553.360
7.	तमोरपिंगला	सरगुजा	उत्तर सरगुजा	सरगुजा	608.527
8.	सेमरसोत	सरगुजा	पूर्व सरगुजा	सरगुजा	430.361
9.	भैंरमगढ़	दंतेवाडा	बीजापुर	जगदलपुर	138.950
10.	पामेड़	दंतेवाडा	बीजापुर	जगदलपुर	262.120
11.	भोरमदेव	कवर्धा	कवर्धा	दुर्ग	163.800
	योग				3583.194

1.4.11.3 गेम सैंक्चुरी :

क्र.	सैंक्चुरी	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1.	कुटरू गेम सैक्चुरी	दंतेवाड़ा	बीजापुर	जगदलपुर	1540.714

1.4.11.4 प्रोजेक्ट टायगर :

इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर केन्द्र शासन की प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत वर्ष 19872 से सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अचानकमार, उदन्ती एवं सीतानदी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टायगर योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति केन्द्र शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.08.06 को दी गई है।

1.4.11.5 राज्य में वन्यप्राणियों का आंकलन :

राज्य में मुख्य वन्य प्राणियों के आंकलन वर्ष 2005 के आंकडे निम्नानुसार है :–

क्रं.	वन्यपशु का नाम	वर्ष 2005
1	शेर	200
2	तेन्दुआ	1293
3	चीतल	23044
4	सांभर	3305
5	कोटरी	19203
6	नीलगाय	4197
7	गौर	2698
8	जंगली भैंसा	121

वर्ष 2006 में वन्यप्राणी गणना की विधि में परिवर्तन किया गया है। प्रोजेक्ट टायगर एवं भारतीय वन्यप्राणी संस्थान के संयुक्त निर्देशन में तैयार की गई प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक बीट में एक ट्रान्जेक्ट लाईन डालकर हिरण प्रजाति के मिलने वाले साक्ष्य जैसे प्रत्यक्ष दर्शन लेंडी, खरोच के निशान, पैर के चिन्ह आदि के आधार पर आंकलन किया गया है। यह कार्य ट्राजेंक्ट लाईन पर चलकर तीन दिवस तक किया गया है। मांसाहारी वन्यप्राणियों के साक्ष्यों जैसे मल, गारा, पैर का चिन्ह प्रत्यक्ष दर्शन आदि के रिकार्ड भी निर्धारित प्रपत्रों में तीन दिवस के भ्रमण आधार पर बनाए गए है। प्रथम चरण के समस्त आंकड़े संकलित कर भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को प्रेषित किए गए हैं। देहरादून स्थित वन्यजीव संस्थान द्वारा इन आंकड़ों का विशलेषण किया जा रहा है। द्वितीय चरण के आंकलन में शेरों के आंकलन के लिए संस्थान द्वारा कैमरा ट्रैप पद्धति का उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2006 में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार वन्य जीवों की संख्या न देकर वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा उनकी उपस्थिति 3 ग्रेडों में यथा कम घनत्व, मध्यम घनत्व एवं उच्च घनत्व में वर्गीकृत करना प्रस्तावित किया गया है।

1.4.11.6 संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न बजट मदों के अंतर्गत तीन वर्षो में आवंटन एवं व्यय :—

(अ) राज्य शासन से प्राप्त आबंटन एवं व्यय

राशि लाख रूपयों में

क्रं.	मद संख्या	वर्ष 2004—05		वर्ष 2005—06		वर्ष 2006—07 (माह नवम्बर 06 की स्थिति में)	
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	10—2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, [02]- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन {110} वन्य जीवन— (2899) राष्ट्रीय उद्यान	244.85	207.47	217.667	203.12	197.40	147.57

क्रं.	मद संख्या	वर्ष 2004–05		वर्ष 2005–06		वर्ष 2006–07 (माह नवम्बर 06 की स्थिति में)	
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	10–2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, [02]- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन {110} वन्य जीवन– (2900) अभयारण्य क्षेत्र	365.92	377.70	398.35	390.94	360.10	277.34
3.	10–2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, [02]- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन {110} वन्य जीवन, 0101–राज्य आयोजना, (3943) वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	–	–	50.00	49.67	200.00	33.58
4.	10–2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, [02]- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन {110} वन्य जीवन, 0101–राज्य आयोजना, (6540) चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन	–	–	60.00	66.45	75.00	60.78
5.	41–2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, [01]- वानिकी {101} वन संरक्षण और विकास, 800– अन्य व्यय–0102 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप योजना (5090) जैव विविधता संरक्षण	–	–	10.00	9.70	9.90	–
6.	10–2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, [02]- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन {110} वन्य जीवन, 0101–राज्य आयोजना, (6722) मगरमच्छ संरक्षण योजना	–	–	–	–	70.00	46.80
	योग	610.77	585.17	736.017	719.88	912.40	566.07

(ब) केन्द्र शासन से प्राप्त सहायता एवं उसका व्यय

राशि लाख रूपयों में

मद संख्या	वर्ष 2004—05		वर्ष 2005—06		वर्ष 2006—07 (माह नवम्बर 06 की स्थिति में)	
	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	व्यय राशि
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10—2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, [02]- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन {110} वन्य जीवन, 0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना, (6539) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का विकास	265.87	259.68	383.11	344.85	290.04	60.78
41—2406 (702)— केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उप योजना (3730) प्रोजेक्ट टायगर	34.99	8.42	64.33	45.00	15.75	6.50
10—2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, [02]- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन {110} वन्य जीवन, 801— केन्द्र क्षेत्रीय योजना, (5502) प्रोजेक्ट एलिफेंट	—	—	—	—	45.00	—
41—2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, [02]- पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन {110} वन्य जीवन, 801— केन्द्र क्षेत्रीय योजना, (6771) अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व का विकास	—	—	—	—	70.00	18.46
योग	300.86	268.10	447.44	389.85	420.79	85.74

1.4.11.7 जंगली हाथियो की समस्या :

वर्ष 2000 से लगातार हाथियों के अलग–अलग विभिन्न समूहों में बंटकर छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, धर्मजयगढ़ कोरबा एवं कटघोरा वनमंडलों में विचरण करते आ रहे हैं तथा इनके द्वारा जनहानि/फसल सम्पत्ति हानि भारी मात्रा में हो रही हैं। जिसके कारण राज्य शासन को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपये से अधिक भुगतान करना पडता हैं।

वन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को एलीफेंट प्रोजेक्ट में सम्मिलित करते हुए विकास कार्यो हेतु बजट उपलब्ध करने के लिए 4302.25 लाख का प्रस्ताव डायरेक्टर (प्रोजेक्ट एलीफेन्ट) भारत शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। केन्द्र शासन द्वारा एलीफेन्ट प्रोजेक्ट योजना से वर्ष 2006–07 के लिये रू. 64 लाख की स्वीकृति देते हुए रू. 45 लाख की राशि विमुक्त की गई है।

1.4.11.8 बस्तर पहाड़ी मैना :

पहाड़ी मैना के बाह्य स्थलीय / अन्तः स्थलीय संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट पांच वर्ष के लिये रूपये 40.70 लाख का प्रस्ताव जुलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, प्राणी विज्ञान भवन एम.आर.नया अलीपोर, कलकत्ता को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित हैं। राज्य शासन द्वारा अपने श्रोतों से बस्तर मैंना के अन्तः स्थलीय संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं।

1.4.11.9 तपकरा सर्प ज्ञान केन्द्र की स्थापना :

वनमंडल जशपुर के तपकरा क्षेत्र में सर्प ज्ञान केन्द्र की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत रूपये 41.13 लाख का बजट प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वन्यप्राणी/725, दिनांक 23/06/2006 को केन्द्र शासन नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। वन मंडल जशपुर से प्राप्त

सर्प ज्ञान केन्द्र की स्थापना बावत् रूपये 45.16 लाख का [illegible] सरगुजा–जशपुर विकास प्राधिकरण से राशि स्वीकृति हेतु भेजा गया। जिसमें रू. 10.00 लाख की स्वीकृति माह मार्च 2006 में जशपुर वनमंडल में प्राप्त हुई है जिसका कार्य वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ किया गया है।

1.4.11.10 वनभैंसों का संरक्षण :

छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्यजीवों में वनभैंसा प्रमुख है। वर्तमान में वनभैंसे छत्तीसगढ़ की उदन्ती अभ्यारण्य, पामेड अभ्यारण्य तथा इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सीमित रह गए है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वनभैंसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के वनभैंसों का विशेष महत्व है। वनभैंसों को महत्व देते हुए राज्य शासन द्वारा इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इनके रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण वनभैंसों पर संकट बढ़ा है। प्रदेश में वनभैंसों को संरक्षित करने के सभी प्रयास किए जा रहे है। वन विभाग द्वारा वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट आफ इण्डिया, नई दिल्ली के साथ एक सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अंतर्गत यह संस्था वन भैंसों के संरक्षण में तकनीकी सहयोग दे रही है। वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट आफ इण्डिया, ने अपना कार्य जून 2005 से प्रारम्भ कर दिया है।

1.4.11.11 मगरमच्छ परियोजना :

वनमंडल जांजगीर चांपा के अंतर्गत कोटमी सोनार तालाब में मगरमच्छ के संरक्षण एवं ग्रामीणों को हानि से बचाने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में मगरमच्छ संरक्षण योजना के नाम से नवीन मद प्रदान कर रू. 70.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

1.4.11.12 अचानकमार – अमरकंटक – बायोस्फियर रिज़र्व :

अचानकमार – अमरकंटक – बायोस्फियर रिज़र्व की अधिसूचना भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च 2005 को जारी की गई है। इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग कि.मी. है। इस बायोस्फियर रिजर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले का कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश में डिण्डोंरी एवं अनूपपुर जिले के भाग सम्मिलित है। यह देश का चौदहवां बायोस्फियर रिजर्व है। इस जीवमंडल (बायोस्फियर रिजर्व) में छत्तीसगढ़ राज्य का 2610.53 वर्ग कि.मी. सम्मिलित है, जिसमें कोर जोन 551.55 वर्ग कि.मी. है। वन संरक्षक कार्य आयोजना बिलासपुर को राज्य शासन द्वारा अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व का संचालक नियुक्त किया गया है। इस बायोस्फियर रिजर्व का रू. 2829.28 लाख का मैनेजमेंट एक्शन प्लान (वर्ष 2005–06 से 2009–2010 तक) तैयार कर दिसम्बर 2005 में केन्द्र शसन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में अचानकमार – अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व के विकास हेतु रू. 126.82 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से रू. 70.00 लाख की राशि विमुक्त की गई है।

1.4.11.13 छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन :

राज्य शासन द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दिनांक 16.02.2006 को माननीय वनमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड की पहली बैठक दिनांक 24.05.06 को सम्पन्न हुई। वित्तीय वर्ष 2006–07 बोर्ड को अनुदान के लिए में रू. 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

1.4.11.14 वन्य जीवों का संरक्षण एवं विकास :

संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास की कोई योजना न होने से इस कार्य हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य शासन द्वारा वन्य जीवों का संरक्षण एवं विकास नवीन मद प्रारम्भ कर रूपये 50.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2006–07 में बढ़ाकर रूपये 200.00 लाख किया गया है।

1.4.11.15 वन्यजीवों से पहुंचने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति :

राज्य शासन द्वारा हिंसक वन्यप्राणियों शेर, तेन्दुआ, भालू, लकडबग्घा, भेड़िया, जंगली सुअर, गौर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल, वन भैंसा एवं सियार द्वारा पशुओं एवं मनुष्यों को क्षति पहुंचाये जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :—

क्रं.	विवरण	सहायता/क्षतिपूर्ति राशि
1.	जनहानि	रू. 1,00,000 /— (एक लाख रूपये)
2.	स्थायी रूप से अपंग होने पर	रू. 20,000 /— (बीस हजार रूपये)
3.	जनघायल	रू. 7,500/— (की अधिकतम सीमा तक)
4.	पशुहानि	रू. 7,500/— (की अधिकत्तम सीमा तक)

1.4.11.16 वन्यजीवों से पहुंचने वाली फसलों एवं सम्पत्ति की क्षति की क्षतिपूर्ति :

जंगली हाथियों, जंगली सुअर, नीलगाय एवं बनैली गायों द्वारा किसानों की फसलों या घरों को पहुंचाई जाने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति संबंधित क्षेत्र के पटवारी, वनपाल/वनरक्षक, सरपंच एवं वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष की समिति से क्षति का आंकलन कराकर भुगतान करने के प्रावधान है। क्षति के आंकलन में राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से फसलों को पहुंचने वाली क्षति से संबंधित दरों का उपयोग किया जाता है।

सम्पत्ति/फसल हानि क्षतिपूर्ति भुगतान राशि का विवरण

अनु. क्रं.	वर्ष	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति राशि
1.	2004—05	3823	9195020
2.	2005—06	6043	10498167
योग		98266	19693187

1.4.12 उत्पादन

1.4.12.1 विदोहन :—

छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वनमंडलों के स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक काष्ठ एवं बांस कूपों के विदोहन से वर्ष 2005—06 में जून 2006 तक वृत्तवार निम्नानुसार उत्पादन हुआ —

वर्ष 2005—06 का उत्पादन

अनु.	वृत्त का नाम	बांस (नो. टन में)		काष्ठ (घन मी. में)	जलाऊ चट्टे (नग में)
		औद्योगिक	व्यापारिक		
1	रायपुर	1793	629	28482	46092
2	बिलासपुर	809	1536	23617	24852
3	कांकेर	5914	7730	26399	24136
4	जगदलपुर	3036	4239	18855	11279
5	सरगुजा	0	0	12495	8251
6	दुर्ग	1693	2077	3760	22604
	योग	13245	16211	113608	137214

काष्ठ एवं बांस के निर्वर्तन हेतु प्रदेश के विभिन्न वनमंडलों में 25 काष्ठागार एवं 11 बांसागार स्थापित हैं। इन आयगारों में काष्ठ/बांस का निर्वर्तन घोष विक्रय द्वारा किया जाता है जबकि औद्योगिक बांस का निर्वर्तन अग्रिम निविदा आमंत्रित कर किया जाता है।

विदोहन वर्ष 2006–07 में काष्ठ एवं बांस विदोहन का लक्ष्य वृत्तवार निम्नानुसार निर्धारित है–

वर्ष 2006–07 का लक्ष्य

अनु.	वृत्त का नाम	बांस (नो. टन में)		काष्ठ (घन मी. में)	जलाऊ चट्टे (नग में)
		औद्योगिक	व्यापारिक		
1	रायपुर	1000	390	42124	64251
2	बिलासपुर	4143	1011	25889	36912
3	कांकेर	9052	8779	15254	19260
4	जगदलपुर	7000	5122	26132	17674
5	सरगुजा	0	0	22113	29215
6	दुर्ग	31770	11300	9302	17765
	योग	**52965**	**26602**	**140814**	**185077**

निस्तार व्यवस्था –

प्रदेश में निस्तार नीति के अंतर्गत वन क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित ग्रामवासियों को निस्तार दर पर वनोपज उपलब्ध कराया जाता है जबकि इस परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को बाजार दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नीति के अंतर्गत निम्नानुसार कैलेण्डर वर्ष 2006 में निस्तारियों को 30 जून 2006 की स्थिति में वृत्तवार वनोपज उपलब्ध कराया गया–

अनु.	वृत्त का नाम	बांस		बल्ली		जलाऊ चट्टे	
		लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय
1	रायपुर	2654000	1530748	32600	22143	18774	16320
2	बिलासपुर	614100	262259	12075	7683	1610	799
3	कांकेर	1826300	600818	33550	14226	2159	636
4	जगदलपुर	523000	159312	18050	8366	8152	7261
5	सरगुजा	9295300	2841976	146100	59776	32835	25227
6	दुर्ग	3586600	288839	12625	1534	873	113
	योग	18499300	5683952	255000	113728	64403	50356

बंसोड़ों को बांस प्रदाय— शासन द्वारा बंसोड़ों को प्रति वर्ष 1500 नग बांस रॉयल्टी मुक्त प्रदान किये जाने का प्रावधान है। पान बरेजा परिवारों को प्रति वर्ष 1000 बांस बिना रॉयल्टी लिये डिपो से उपलब्ध कराने की नीति है। वर्ष 2006 में 5227 पंजीकृत बंसोड़ों के लिए 3557665 नग बांस प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से माह जून 2006 तक कुल 1800105 नग बांस प्रदाय किया गया है जिसका वृत्तवार विवरण निम्नुनसार है—

अनु.	वृत्त का नाम	बांस (नग में)	
		लक्ष्य	प्रदाय
1	रायपुर	225900	12,74,633
2	बिलासपुर	322100	1,95,935
3	कांकेर	184165	1,07,591
4	जगदलपुर	0	0
5	सरगुजा	0	0
6	दुर्ग	2825500	2,21,946
	योग	**3557665**	**1800105**

भाग – 2

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

वर्ष 2006–07 में राजस्व प्राप्ति का कुल संशोधित लक्ष्य रुपये 211.53 करोड़ के विरुद्ध दिसम्बर 2006 तक रुपये 141.85 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है।

2.1 आबंटन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2006–07 में बजट प्रावधान एवं दिसम्बर 2006 तक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि रुपये लाख में)

मद	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	दिसम्बर 2006 तक व्यय
मांग संख्या 10–2406 आयोजनेत्तर			
मतदेय	2958.50	---	1518.10
भारित	141.20	---	132.50
योग	**3099.70**		**1650.60**
मांग संख्या 10–2406 आयोजना	7715.17	6343.37	2296.05
मांग संख्या 41–2406 आयोजना	3847.82	3496.75	967.15
मांग संख्या 64–2406 आयोजना	595.00	595.00	149.75
योग	**12157.99**	**10435.12**	**3412.95**

2.2 आयोजना – बजट प्रावधान, उपलब्ध राशि एवं व्यय राशि (योजनावार) – वित्तीय वर्ष 2006–07

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	कुल व्यय राशि दिसम्बर 06
1	2	3	4	5
1	(2723) – प्रशासन सुदृढ़ीकरण	104.00	104.00	65.00
2	(6025) – वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	10.00	10.00	6.12
3	(2536) – पर्यावरण वानिकी	325.00	325.00	187.56
4	(2965) – बिगड़े वनों का सुधार	2125.00	2125.00	616.71
5	(5089) – राज्य में वानिकी अनुसंधान	26.00	26.00	7.00
6	(6723) – संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	60.00	60.00	14.08
7	(1004) – नदी तट वृक्षारोपण योजना	132.00	132.00	51.95
8	(1902) – तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	350.00	350.00	140.97
9	(2533) – हरियाली प्रसार योजना	150.00	150.00	32.97
10	(2534) – पौधा प्रदाय योजना	105.00	105.00	17.60
11	(3044) – बोना तथा पौधा लगाना	500.00	500.00	95.27
12	(5503) – राजीव गांधी बैम्बू मिशन	500.00	500.00	60.24
13	(7563) – अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	1145.00	1145.00	520.57
14	(5420) – राज्य औषधि वनस्पति मंडल की स्थापना	70.00	70.00	36.19
15	(6725) – यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	301.00	0.00	0.00
16	(792) – कर्मचारी कल्याण योजना	35.00	35.00	13.25
17	(3943) – वनजीवों को संरक्षण एवं विकास	200.00	200.00	52.05
18	(6722) – मगरमच्छ संरक्षण योजना	70.00	70.00	49.90
19	(6540) – चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन	75.00	75.00	70.00
20	(6792) – लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना	284.17	0.00	0.00
21	(6793) – जैव विविधता बोर्ड की स्थापना	1.00	0.00	0.00
22	(6699) – वन विकास उपकर निधि से व्यय	1300.00	1300.00	588.42
23	(646) – वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	60.00	60.00	

2.3 10— वन आयोजनेत्तर

बजट मद	बजट अनुमान 2006—07	दिसम्बर 06 तक व्यय
1	2	3
एक — राजस्व अनुभाग		
2055 — पुलिस		
योग लेखा शीर्ष — 2055	**200**	
2235 — सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
[60] — अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम		
{200} — अन्य योजनाएं		
योग लेखा शीर्ष — 2235		
2402 — भू और जल संरक्षण		
योग लेखा शीर्ष — 2402	**100**	
एक — राजस्व अनुभाग		
2406 — वानिकी और वन्य जीवन		
[01] — वानिकी		
{001} — निदेशन और प्रशासन		
(3555) — मुख्यालय		
योग योजना —(3555)	45706	42070
योग लघु शीर्ष {001}	45706	42070
{003} — शिक्षा और प्रशिक्षण		
(4462) — वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
योग योजना —(4462)	19680	11178
योग लघु शीर्ष {003}	19680	11178
{070} संचार और इमारतें		
(4349) — सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरस्ती		
योग योजना —(4349)	40000	26582
(6218) — भवनों की मरम्मत		
योग योजना —(6218)	56000	41904
योग लघु शीर्ष {070}	96000	68486

बजट मद	बजट अनुमान 2006—07	दिसम्बर 06 तक व्यय
1	2	3
{101}— वन संरक्षण और विकास तथा संपोषण		
(812) — कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना योग योजना —(812)	38572	25398
(813) — कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य योग योजना —(813)	36697	15075
(2786) - प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त) योग योजना —(2786)	32945	23632
(3836) — उत्पादन वनमंडल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस योग योजना —(3836)	327171	169225
(3877) — क्षेत्रीय वन मण्डल योग योजना —(3877)	1092657	743190
योग लघु शीर्ष —{101 }	1528042	976520
{102} — सामाजिक और फार्म वानिकी		
(1093) — खैर योग योजना —(1093)	400	
(3531) — प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण योग योजना —(3531)	52500	9530
(4475) — सामाजिक वानिकी योग योजना —(4475)	26891	19681
(3044) — बोना तथा पौधे लगाना योग योजना —(3044)	25000	5949
योग लघु शीर्ष —{102}	104791	35160
{203} — इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार		
(535) — इमारती लकड़ी योग योजना —(535)	484800	191216
(5641) — वन प्रबंध समितियां योग योजना —(5641)	85000	
योग लघु शीर्ष — {203}	569800	191216

बजट मद	बजट अनुमान 2006—07	दिसम्बर 06 तक व्यय
1	2	3
{204}— बांस का राजकीय व्यपार		
(2901) — बांस		
योग योजना —(2901)	144500	46384
(5641) — वन प्रबंध समितियां		
योग योजना —(5641)	11500	0
योग लघु शीर्ष — {204}	156000	46384
{797} — आरक्षित निधियों को/से हस्तान्तरण तथा जमा लेखें		
(216) — वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए प्राप्त राशि का वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि में अन्तरण		
योग योजना —(216)	6000	0
(3885) — वन विकास निधि में अन्तरण (भारित)		
योग योजना -(3885)	130000	130000
योग लघु शीर्ष — {797}	6000	0
भारित	130000	130000
{800} — अन्य व्यय		
(252) — अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता		
रु13 — आर्थिक सहायता / सहायक अनुदान		
योग योजना —(252)	334500	284725
(1411) — हिसंक पशुओं के विनाश के लिए पुरस्कार		
रु18 — पारितोषिक		
योग योजना —(1411)	[illegible]	[illegible]
(3873) — वन अपराध का पता लगाने के लिए पुरस्कार		
योग योजना —(3873)	395	122
(3882) — वन विकास निगम को कमीशन का भुगतान		
रु14 — सहायक अनुदान		
योग योजना —(3882)	20	0
(3896) — वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति		
योग योजना —(3896)	27500	15861
योग लघु शीर्ष — {800}	362475	300710

बजट मद	बजट अनुमान 2006—07	दिसम्बर 06 तक व्यय
1	2	3
[02] — पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन		
{110} — वन्य जीवन		
(2899) — राष्ट्रीय उद्यान योग योजना —(2899)	22689	16875
(2900) — अभ्यारण क्षेत्र योग योजना —(2900)	47051	31287
योग लघु शीर्ष {110}	69740	48162
योग लेखा शीर्ष — 2406	2958534	1719886
भारित	130000	130000
योग एक —राजस्व अनुभाग	2958534	1719886
भारित	130000	130000
दो — पूंजी अनुभाग		
6401 — कृषि कार्य के लिए उधार		
{800} — अन्य व्यय		
(3875) — वन तकाबी योग योजना —(3875)	200	0
योग लघु शीर्ष — (800)	200	0
योग लेखा शीर्ष — 6401	200	0
7610 — सरकारी सेवकों आदि को उधार		
{ 800 }— अन्य व्यय		
(3872) — वन अधिनस्थों को बन्दूकें क्रय करने हेतु अग्रिम योग योजना —(3872)	100	0
योग लघु शीर्ष — {800}	100	0
योग लेखा शीर्ष — 7610	100	0
योग दो — पूंजी अनुभाग	300	0
योग मांग संख्या — 10 अधिकृत मतदेय	2958834	1719886
भारित	130000	130000

2.3.1 आयोजना – बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार) – वित्तीय वर्ष 2005–06

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	माह दिसम्बर 2005 तक व्यय	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	(2723) प्रशासन सुदृढ़ीकरण	59.00	18.70	
2	(6025) वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	9.00	3.28	
3	(2536) पर्यावरण वानिकी	310.00	83.36	75 km road side plantation (preparation)
4	(2962) बिगड़े वनों का सुधार	1775.00	610.19	43974 ha.
5	(5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान	25.00	3.35	
6	(1859) राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना	100.00	0.00	
7	(3044) बोना तथा पौधा लगाना	425.00	165.15	11695 ha.
8	(1902) तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	300.00	98.45	2385 ha.
9	(5503) राजीव गांधी बैम्बू मिशन	150.00	24.28	3000 ha.
10	(7563) अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	1200.00	653.14	2350 ha.
11	(6699) वन विकास उपकर निधि से व्यय	1300.00	541.82	13840 ha.
12	(646) वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	50.00	1.35	
13	(5420) राज्य औषधि वनस्पति मंडल की स्थापना	30.00	15.00	
14	(792) कर्मचारी कल्याण योजना	32.00	16.27	
15	(4342) सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	720.00	201.46	199 complete 350 part
16	(6516) ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज/ औषधी रोपण	650.00	114.63	23000 ha.

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	माह दिसम्बर 2005 तक व्यय	लक्ष्य
1	2	3	4	5
17	(4475) सामाजिक वानिकी	72.00	53.59	
18	(5091) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	175.00	92.62	
19	(5090) जैव विविधता का संरक्षण	10.00	0.77	
20	(3874) वन ग्रामों का विकास	50.00	13.76	
21	(2534) पौधा प्रदाय योजना	50.00	25.29	12.64 lac plant seedings
22	(2533) हरियाली प्रसार योजना	80.00	26.77	4.97 lac plant seedings
23	(1004) नदी तट वृक्षारोपण योजना	85.00	33.26	1.55 lac plant seedings
24	(6540) चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन	60.00	58.00	
25	(3943) वनजीवों को संरक्षण एवं विकास	50.00	14.90	
26	(6539) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	528.00	91.23	
27	(3730) प्रोजेक्ट टाईगर	166.00	0.00	
28	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा योजना	800.00	1.83	
29	(5231) लघुवनोपज कार्य हेतु लघुवनोपज संघ को अनुदान	200.00	0.00	
30	(5167) वनोपज संग्रहण हेतु गोदामों का निर्माण	3.00	0.00	
	योग	**9464.00**	**2962.45**	

भाग – 3

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

3.1 राज्य योजनाएं

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना का नाम	2003.04		2004.05		2005.06	
		बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	बिगड़े वनों का सुधार	1189.00	1214.96	1280.00	1261.90	1975.00	1973.18
2	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	291.00	281.68	275.00	268.00	300.00	295.18
3	बोना तथा पौधा लगाना	379.00	391.71	390.00	392.72	425.00	415.13
4	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	1650.00	1621.67	1704.00	1597.14	1200.00	185.85
5	वन विकास उपकर निधि से व्यय	1000.00	912.02	1000.00	1017.55	1300.00	1278.22
6	सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य	330.00	352.10	540.00	542.09	720.00	712.81
	योग	**4839.00**	**4774.14**	**5189.00**	**5079.40**	**5920.00**	**4860.37**

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना का नाम	2003.04			2004.05			2005.06		
		बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	(6539) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	233.60	197.33	275.06	487.00	279.16	258.91	528.00	375.80	344.84
2	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा योजना	217.40	217.40	94.70	822.79	718.48	728.97	800.00	104.31	77.17

क्र.	योजना का नाम	2003.04			2004.05			2005.06		
		बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	(3730) प्रोजेक्ट टाईगर	99.50	80.25	91.52	207.00	69.98	8.43	166.00	87.02	46.48
4	क्षेत्र अभिमुख जलाउ लकड़ी एवं चारा कार्यक्रम	44.70	31.20	29.36	16.50	16.34	15.18	0	0	
	योग	**595.2**	**526.18**	**490.64**	**1533.29**	**1083.96**	**1011.49**	**1494.00**	**567.13**	**468.49**

भाग – 4

सामान्य प्रशासनिक विषय (जांच समितियाँ, किये गये अध्ययन आदि अंकित किये जाये)

भारत शासन द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजनांतर्गत वन विकास अभिकरण के माध्यम से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा छत्तीसगढ़ में जन सहयोग से वनीकरण कार्य किया जा रहा है। राज्य के 32 वनमंडलों में से सभी वनमंडलों में वन विकास अभिकरण का गठन हो चुका है एवं समस्त 32 वन विकास अभिकरणों की परियोजना भारत शासन द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत संबंधित वनमंडलों में प्राकृतिक पुनरूत्पादन, कृत्रिम पुनरूत्पादन, मिश्रित रोपण, बांस रोपण, चारागाह विकास एवं वन औषधि रोपण का कार्य **1069** ग्राम वन समिति / वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रदेश की इन **32** वन विकास अभिकरणों में विभिन्न कार्यो हेतु वर्ष 2001 – 02 से 2006 – 07 तक कुल **42514** हे. क्षेत्र में वनीकरण का लक्ष्य है जिस हेतु **73.83 करोड़** रूपये स्वीकृत है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एन.ए.ई.बी. नई दिल्ली द्वारा सितंबर, 2006 तक कुल **54.37** करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है जिसमें से **50.22** करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। किये गये वृक्षारोपण के अंतर्गत विभिन्न वर्षो (2002 – 03 से 2006 – 07) तक सागौन 67.01 लाख, बांस 76.28 लाख, रतनजोत 23.13 लाख, औषधीय रोपण 66.50 लाख एवं अन्य 65.01 लाख कुल 297.93 लाख पौधे रोपित किये जा चुके हैं।

भारत शासन द्वारा वन विकास अभिकरणों हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न कार्यो में किये गये व्यय के लेखों का अंकेक्षण चार्टेड एकाउन्टेन्ट जो कि सी.ए.जी. के पेनल में सूचीबद्ध हो, के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में वर्ष 2005 – 06 तक की स्थिति में 20 वन विकास अभिकरण का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष का कार्य प्रगति पर है।

भारत शासन द्वारा वन विकास अभिकरणों हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना के कार्य आरंभ होने के 12 से 24 महीनों के अंदर वन विकास अभिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वतंत्र संस्था की नियुक्ति कर प्रथम आन्तरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य कराया जाना है। वर्तमान में कुल स्वीकृत 32 वन विकास अभिकरणों में से 25 अभिकरणों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य पूर्ण हो चुका है। सुकमा, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर एवं उदन्ती वन विकास अभिकरण का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य शेष है।

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एन.ए.ई.बी.) द्वारा नियुक्त स्वतंत्र संस्था द्वारा पूर्व रायपुर, रायपुर (सा.), बस्तर एवं धमतरी वन विकास अभिकरण का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभिकरणों के अंतर्गत किये गये विभिन्न कार्यो को निम्नानुसार अंक दिया गया है।

घटक	**पूर्व रायपुर**	**रायपुर (सा.)**	**बस्तर**	**धमतरी**
भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धि	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
रखरखाव एवं जीवित प्रतिशतता	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियां	अच्छा	उत्कृष्ट	अच्छा	उत्कृष्ट
एफ.डी.ए. संचालन	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
कुल	**बहुत अच्छा**	**उत्कृष्ट**	**बहुत अच्छा**	**बहुत अच्छा**

भाग – 5

अभिनव योजना

5.1 पौधा प्रदाय योजना

वित्तीय वर्ष 2005–06 में निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने ''पौधा प्रदाय योजना'' प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू–स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 12.64 लाख तथा वर्ष 2006–07 में 9.07 लाख पौधे रियायती दर पर प्रदाय किये गये हैं। वर्ष 2007–08 में 20 लाख पौधे वितरण का लक्ष्य है।

5.2 हरियाली प्रसार योजना

वनेत्तर क्षेत्रों में वानिकी के प्रसार हेतु विभाग ने वित्तीय वर्ष 2005–06 में ''हरियाली प्रसार योजना'' लागू की है। योजना अंतर्गत भूमि स्वामी को उनके द्वारा अपनी पड़त भूमि में न्युनतम 250 तथा अधिकतम 1000 पौधे की सीमा तक गढ्ढे खोदने की स्थिति में पौधा रोपण के अन्य समस्त व्यय जैसे पौधा तैयारी, रोपण, निंदाई, खाद, कीटनाशक आदि पर होने वाले व्यय, विभाग द्वारा भारित किये जाते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 4.95 लाख तथा वर्ष 2006–07 मे 15.02 लाख पौधे हितग्राहियों द्वारा रोपित किये गये हैं। वर्ष 2007–08 में 11 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य है।

5.3 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू–क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2005–06 में विभाग द्वारा ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 1.55 लाख तथा वर्ष 2006–07 में 3.30 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2007–08 में 5 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य है।

5.4 बायो डीजल हेतु रतनजोत वृक्षारोपण

बायो डीजल उत्पादन हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में वर्ष 2004—05 से रतनजोत रोपण की महत्वाकांछी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा शासकीय भूमि पर एवं जनता को पौधा उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से निजी भूमि पर रोपण का कार्य कराया गया। वन विभाग द्वारा निम्नानुसार उपलब्धि प्राप्त की गई है —

वर्ष	रतनजोत पौधा रोपण/ वितरण					
	लक्ष्य (लाख में)			उपलब्धि (लाख में)		
	रोपण	वितरण	योग	रोपण	वितरण	योग
2004.05	2.50	-	2.50	3.71	-	3.71
2005.06	150	150	300	243.65	61.24	304.89
2006.07	500	300	800	600.13	230.71	830.84

भाग — 6

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए)

1. प्रतिवर्ष विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन।

2. समस्त क्षेत्रीय वनमंडलों से प्रतिवर्ष निस्तार पत्रिकाओं का प्रकाशन।

3. लघु वनोपज संघ द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाने वाले पुस्तिकाओं की जानकारी निम्नानुसार है :—

   3.1 वार्षिक आमसभा हेतु तैयार की गई पुस्तिका।

   3.2 हर्बल छत्तीसगढ़

   3.3 Chhattisgarh The Herbal State of India

भाग – 7

सारांश

वनोपज संघ द्वारा अपने तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिये निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना लागू की गई है । जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 2005–2006 में कुल 18,514 प्रकरणों में रूपये 8.63 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

माननीय वनमंत्री जी की अध्यक्षता में लघु वनोपज संघ में लाख की खेती को बढ़ावा देने हेतु एक अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है ।

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से रूपये 90.00 लाख की राशि प्राप्त कर प्रशिक्षण तथा बीहन लाख प्रदाय के कार्य किये जा रहे हैं । इससे लाख के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय जनता को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है ।

यूरोपियन कमीशन से राशि रू. 21.20 करोड़ की तीन वर्ष की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें प्रथम वर्ष हेतु रू. 3.28 करोड़ प्राप्त हुई है । इस परियोजना के अन्तर्गत संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य कियान्वित किये जा रहे है ।

''जनश्री'' बीमा योजना लागू की जा रही है, जिसके अन्तर्गत समस्त संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य है बीमित होगें । इस योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रू. 20,000/–, आंशिक विकलांगता होने पर रू. 25,000/–, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रू. 50,000/– की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रित को प्राप्त होगी ।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम गठन के पश्चात् वर्ष 2001 से 2006 (वर्षवार) तक किए गए वृक्षारोपण निम्नानुसार है :

रोपण वर्ष	सागौन		बांस		मिश्रित	
	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या	रकबा (हे.)	पौधा संख्या
1	2	3	4	5	6	7
2001	1992.15	2824923	-	-	-	-
2002	2851.70	4298625	-	-	-	-
2003	3255.18	5523517	105.00	42000	-	-
2004	4531.32	6763750	150.00	37100	-	-
2005	3902.46	5716000	-	-	-	-
2006	5348.32	8196105	1609.32	810459	250.25	242310
	21881.12	**33322920**	**1864.32**	**889559**	**250.25**	**242310**

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में वर्ष 2006—07 का बजट एवं माह दिसम्बर 2006 तक उपलब्धि :—

		लक्ष्य (राशि करोड़ में) वर्ष 2006—2007	उपलब्धि (राशि करोड़ में) माह दिसम्बर 2006 तक
01	राजस्व प्राप्ति	39.79	41.46
02	व्यय	33.60	20.36

- राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2005–06 में औषधीय पौधों के निम्नानुसार 4 प्रमोशनल स्कीम (GOs.) स्वीकृत किये गये हैं :

1. वनौषधि वाटिका सह उत्पादन सह प्रदर्शन केन्द्र गोढ़ी, सामाजिक वानिकी वनमण्डल रायपुर, परियोजना अवधि 3 वर्ष, लागत रू.20.00 लाख
2. उच्च गुणवत्ता के औषधीय पौधों का उत्पादन, क्षेत्रीय वनमण्डल, दुर्ग, परियोजना अवधि–3 वर्ष, लागत रू.24.00 लाख
3. उच्च गुणवत्ता के औषधीय पौधों का उत्पादन, क्षेत्रीय वनमण्डल, कांकेर परियोजना अवधि–3 वर्ष, लागत रू.25.00 लाख ।
4. स्टीबिया पर डेमोस्ट्रेशन एवं विकास योजना, प्रबंध संचालक टेरीफेड, न्यू दिल्ली, परियोजना अवधि 3 वर्ष, लागत रू.11.00 लाख ।

कृषकों को समुचित तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने एवं उचित दर पर रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय प्रोजेक्ट (लागत रू.16.55 लाख) प्रगति पर है । इसके अंतर्गत विभिन्न वनौषधियों से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण ।बजपअम च्तपदबपचंस की पहचान की जा रही है तथा इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर शोध हो रहा है । अब तक रू.6.00 लाख राशि आबंटित की गयी है जिसके विरूद्ध अब तक रू. 1,24,950/– का व्यय किया जा चुका है ।

सामान्य परिदृश्य

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,224 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत हैं। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59772 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर हैं । राज्य के वन आवरण की दृष्टि से देश के 3 राज्य निम्नानुसार हैः–

मध्यप्रदेश	–	76429 वर्ग कि.मी.
अरूणाचल प्रदेश	–	68019 वर्ग कि.मी.
छत्तीसगढ़	–	55998 वर्ग कि.मी.

छत्तीसगढ़ राज्य के वन – एक दृष्टि मे

वन वर्गीकरण	*वन क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)*	*प्रतिशत*
	अ. वैधानिक स्थिति	
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	**59772.40**	**100.00**
	ब. वनों के प्रकार	
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	**59772.40**	**100.00**
	*स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र **	
राष्ट्रीय उद्यान – 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य– 11	6615.295	11.06

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया है :–

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का कार्य (हे.में)	द्वितीय वर्ष का कार्य (हे.में)	पुराने क्षेत्रों का रखरखाव (हे.में)
2004–05	55289	29392	24865
2005–06	42990	33079	50708
2006–07 (12/06 तक)	39384	42990	74548

वर्षवार बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का आर.डी.बी.एफ. कार्य (हे. में)
2004–05	18793
2005–06	16963
2006–07 (12/06 तक)	25280 (कार्य प्रति पर)

❑ पौधा प्रदाय योजना

वित्तीय वर्ष 2005–06 में निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने ''पौधा प्रदाय योजना'' प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू–स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 12.64 लाख तथा वर्ष 2006–07 में 9.07 लाख पौधे रियायती दर पर प्रदाय किये गये हैं। वर्ष 2007–08 में 20 लाख पौधे वितरण का लक्ष्य है।

❑ हरियाली प्रसार योजना

वनेत्तर क्षेत्रों में वानिकी के प्रसार हेतु विभाग ने वित्तीय वर्ष 2005–06 में ''हरियाली प्रसार योजना'' लागू की है। योजना अंतर्गत भूमि स्वामी को उनके द्वारा अपनी पड़त भूमि में न्युनतम 250 तथा अधिकतम 1000 पौधे की सीमा तक गढ्ढे खोदने की स्थिति में पौधा रोपण के अन्य समस्त व्यय जैसे पौधा तैयारी, रोपण, निंदाई, खाद, कीटनाशक आदि पर होने वाले व्यय, विभाग द्वारा भारित किये जाते हैं। योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 4.95 लाख तथा वर्ष 2006–07 मे 15.02 लाख पौधे हितग्राहियों द्वारा रोपित किये गये हैं। वर्ष 2007–08 में 11 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य है।

❑ नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू–क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2005–06 में विभाग द्वारा ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 1.55 लाख तथा वर्ष 2006–07 में 3.30 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2007–08 में 5 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य है।

❑ बायो डीजल हेतु रतनजोत वृक्षारोपण

बायो डीजल उत्पादन हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में वर्ष 2004–05 से रतनजोत रोपण की महत्वाकांछी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत विभाग द्वारा शासकीय भूमि पर एवं जनता को पौधा उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से निजी भूमि पर रोपण का कार्य कराया गया। वन विभाग द्वारा निम्नानुसार उपलब्धि प्राप्त की गई है –

वर्ष	रतनजोत पौधा रोपण/ वितरण					
	लक्ष्य (लाख में)			उपलब्धि (लाख में)		
	रोपण	वितरण	योग	रोपण	वितरण	योग
2004-05	2.50	-	2.50	3.71	-	3.71
2005-06	150	150	300	243.65	61.24	304.89
2006-07	500	300	800	600.13	230.71	830.84

❑ वृक्षारोपण

प्रदेश में वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु वनमंडलवार अनुमोदित कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार रिक्त एवं बिगड़े वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। विगत 03 वर्षो में वन विभाग द्वारा वनक्षेत्रों में वनीकरण की दिशा में किये गए प्रयास निम्नानुसार हैं –

क्र.	वर्ष	उपलब्धि (लाख पौधों में)
1	2004–05	217.11
2	2005–06	234.73
3	2006–07	287.95

एकीकृत वन ग्राम विकास योजना

योजना के क्रियान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :–

वनग्राम जिनकी योजना स्वीकृत	–	396
कुल स्वीकृत राशि	–	रू. 66.98 करोड़
आवंटित राशि (वर्ष 2005–06)	–	रू. 43.59 करोड़
आवंटित राशि (वर्ष 2006–07)	–	रू. 10.93 करोड़
दिसम्बर 2006 तक व्यय	–	30.72 करोड़ रुपये
कुल स्वीकृत कार्य	–	3930
कार्य पूर्ण	–	2190
कार्य अपूर्ण	–	1740

❑ वनों के रखरखाव हेतु 12वें वित्त आयोग की अनुसंशा से प्राप्त अनुदान

12वें वित्त आयोग की अनुसंशा से वनों के रखरखाव हेतु छत्तीसगढ़ वन विभाग को कुल 85 करोड़ रुपये का अनुदान वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–10 (5 वर्ष की अवधि) के लिए स्वीकृत किया गया है। यह अनुदान प्रतिवर्ष 17 करोड़ रुपये की दर से प्राप्त होना है।

वर्ष 2005–06 में कुल 850 लाख रुपये इस मद के अंतर्गत आबंटित किये गये । विलंब से योजना की स्वीकृति एवं आबंटन विमुक्त होने के कारण कुल 180.52 लाख रुपये का व्यय वित्तीय वर्ष में हुआ। शेष राशि समर्पित की गई।

वर्ष 2006–07 में स्वीकृत कार्य योजना अनुसार वित्त विभाग द्वारा 1700 लाख रुपये की राशि का प्रावधान है। वर्ष 2005–06 के अवशेष कार्यो के लिए प्रावधान प्रथम अनुपूरक बजट में किया गया है।

वर्ष 2005–06 के अवशेष कार्य तथा वर्ष 2006–07 के लिए स्वीकृत कुल कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	स्वीकृत योजना अनुसार 2005—06 के अवशेष कार्य		वर्ष 2006—07 के लक्ष्य		वर्ष 2006—07 के लिए कुल आबंटन	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण	324 no.	595.00	259 no.	499.11	583 no.	1094.11
2	वनमार्गो का उन्नयन	60 km.	420.00	66 km.	481.80	126 km.	901.80
	वन्य प्राणी विकास						
	(i) नंदन वन एवं कानन पेंडारी का विकास		44.94	7 works	50.00		94.94
	(ii) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास		85.53		205.00		290.53
4	असीमांकित संरक्षित वनों का सीमांकन	23700 pillars	260.70	25100 pillars	288.65	48800 pillars	549.35
5	वन विद्यालयों में प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास		62.00	16 works	118.00		180.00
6	वन अनुसंधान	3 works (part)	15.30	3 works (part)	15.44	3 works	30.74
7	रोपणियों का विकास	6 nurseries (part)	6.01	6 nurseries (part)	12.00	6 nurseries	18.01
8	कार्य आयोजना वनमंडल एवं एफ. एम.आई.एस. वनमंडल का सुदृढ़ीकरण		30.00		30.00		60.00
	योग		**1519.48**		**1700.00**		**3219.48**

दिसम्बर 2006 तक रुपये 916.10 लाख का व्यय भारित हुआ है।

❑ राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (विगत 3 वर्षो की उपलब्धि का तुलनात्मक विवरण)

• राज्य योजनाएं

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना का नाम	2003-04		2004-05		2005-06	
		बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि	बजट प्रावधान	व्यय राशि
1	बिगडे वनों का सुधार	**1189.00**	**1214.96**	**1280.00**	**1261.90**	**1975.00**	**1973.18**
2	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	**291.00**	**281.68**	**275.00**	**268.00**	**300.00**	**295.18**
3	बोना तथा पौधा लगाना	**379.00**	**391.71**	**390.00**	**392.72**	**425.00**	**415.13**
4	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	**1650.00**	**1621.67**	**1704.00**	**1597.14**	**1200.00**	**185.85**
5	वन विकास उपकर निधि से व्यय	**1000.00**	**912.02**	**1000.00**	**1017.55**	**1300.00**	**1278.22**
6	सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य	**330.00**	**352.10**	**540.00**	**542.09**	**720.00**	**712.81**
	योग	**4839.00**	**4774.14**	**5189.00**	**5079.40**	**5920.00**	**4860.37**

• केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	योजना का नाम	2003.04			2004.05			2005.06		
		बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	(6539) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों का विकास	233.60	197.33	275.06	487.00	279.16	258.91	528.00	375.80	344.84
2	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा योजना	217.40	217.40	94.70	822.79	718.48	728.97	800.00	104.31	77.17

क्र.	योजना का नाम	2003.04			2004.05			2005.06		
		बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	(3730) प्रोजेक्ट टाईगर	99.50	80.25	91.52	207.00	69.98	8.43	166.00	87.02	46.48
4	क्षेत्र अभिमुख जलाऊ लकड़ी एवं चारा कार्यक्रम	44.70	31.20	29.36	16.50	16.34	15.18	0	0	
	योग	**595.2**	**526.18**	**490.64**	**1533.29**	**1083.96**	**1011.49**	**1494.00**	**567.13**	**468.49**

❑ आबंटन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2006–07 में बजट प्रावधान एवं दिसम्बर 2006 तक व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि रुपये लाख में)

मंद	बजट प्रावधान	उपलब्ध राशि	दिसम्बर 2006 तक व्यय
मांग संख्या 10–2406 आयोजना	7715.17	6343.37	2296.05
मांग संख्या 41–2406 आयोजना	3847.82	3496.75	967.15
मांग संख्या 64–2406 आयोजना	595.00	595.00	149.75
योग	12157.99	10435.12	3412.95

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का आधार बनाया गया है। प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में वनक्षेत्रों की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित हैं। राज्य शासन के संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी संकल्प अक्टूबर 2001 के अनुसार इन ग्रामों में वनों के घनत्व के आधार पर वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है।

सम्प्रति राज्य में 7820 संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा एवं संवर्धन का कार्य राज्य के कुल वन क्षेत्र 59772.389 वर्ग किमी. में से 36886 वर्ग किमी. क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

राज्य में गठित कुल समितियों की वृत्तवार संख्या, उन्हें आबंटित किया गया वन क्षेत्र हे0 में, दक्षतापूर्वक कार्यरत समितियों का विवरण एवं क्षेत्रफल निम्नानुसार है:—

वृत्त का नाम	गठित कुल समितियों की संख्या				गठित समितियों में दक्षतापूर्वक कार्यरत कुल समितियों की संख्या			
	वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति		वन सुरक्षा समिति		ग्राम वन समिति	
	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)	संख्या	क्षेत्रफल (हे. में)
बिलासपुर	533	391422.258	880	311081.403	254	176036.487	406	161634.760
दुर्ग	582	296050.706	420	117698.473	77	31516.096	108	24602.225
कांकेर	916	451258	225	46576	297	154985.310	72	25028.352
जगदलपुर	499	319613.49	328	84248.987	230	158277.769	167	48606.808
रायपुर	605	298663.086	622	132491.345	457	154800.757	514	94450.673
सरगुजा	839	394874.9	1371	432071	165	67976.857	174	56833.140
कुल	**3974**	**2151882.44**	**3846**	**1124167.203**	**1186**	**743593.276**	**1233**	**411155.958**

मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समितियों को यह लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के गठन अर्थात 01.11.2000 से दिया जाना है। वनों की सुरक्षा के एवज में वनों में उत्पादित काष्ठ एवं बांस में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के हिस्से की वनोपज का मूल्य रूपये 7.85 करोड़ का भुगतान समितियों को वित्तीय वर्ष 2004—05 मे किया गया है। इस प्रकार राज्य गठन के पश्चात् राशि 25.38 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

<u>लोक संरक्षित क्षेत्र</u>:—

इस कार्यक्रम को वर्ष 2001 से लागू किया गया है एवं वर्ष 2005 तक 1,47,600 हेक्टर क्षेत्र एवं सितम्बर 2006 में 42,900 हेक्टेयर क्षेत्र; इस तरह कुल 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में लोक संरक्षित क्षेत्रों की अन्तःस्थलीय संवर्धन एवं 208 हे0 क्षेत्र में बाह्य स्थलीय संवर्धन का कार्य किया जा चुका है। इस कार्य में रू. 2888.428 लाख व्यय किये गये हैं। इसके अलावा लोक संरक्षित क्षेत्र में प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण तथा 39 वन औषधालयों की स्थापना भी इस

योजना के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा वनांचल के 3220 रहवासियों एवं वन कर्मियों को अकाष्ठीय वनोपज का विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन आदि पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण वन विद्यालय महासमुन्द, जगदलपुर एवं सक्ती में दिया गया है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमः—

इन परियोजनाओं जिसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का नाम दिया गया है, के अंतर्गत संबंधित वनमंडलों में बिगडे वनों का सुधार, बांस रोपण, वन औषधि रोपण, जलाऊ एवं चारागाह विकास का कार्य किया जा रहा है। महासमुन्द एवं बस्तर वन मंडल में यह प्रोजेक्ट 9 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था। 10 वन मंडलों में यह 10 वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002—03 से 2006—07 पांच वर्ष के लिए, 14 वन मंडलों में वर्ष 2003—04 से 2006—07 चार वर्ष के लिए, वर्ष 2005—06 से 2006—07 तक तीन वर्ष के लिए 3 वनमंडल, वर्ष 2005—06 से 2006—07 दो वर्ष के लिए 2 वनमंडल तथा वर्ष 2006—07 एक वर्ष के लिए 1 वनमंडल के परियोजना स्वीकृत हुये हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में एफ.डी.ए. के माध्यम से कराये जा रहे वानिकी एवं सामुदायिक कार्यो को ''वनों का संवहनीय विकास संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से'' नाम दिया गया है। प्रदेश के इन 32 वन मंडलों में कुल 1069 ग्राम वन समितियों / वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से 42514 हे0 में वृक्षारोपण विभिन्न मदों में किया जावेगा। अभी तक भारत सरकार द्वारा इस हेतु 57 करोड़ 19 लाख 63 हजार रूपये विमुक्त किया गया है, जिसमें से माह सितंबर, 2006 तक 50 करोड़ 21 लाख 62 हजार रुपये व्यय हुआ है एवं सितंबर 2006 तक 41007 हे0 में वृक्षारोपण किया जा चुका है।

वनों की सुरक्षा, संचार सुविधाओं की दृष्टि से मुख्यतः निम्न मदों पर व्यय वित्तीय वर्ष 2005—06 में किया गया हैः—

अ. क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	राशि लाख में
1	*2*	*3*	*4*
1	वन रक्षक आवास	23	36.51
2	वाहनों का क्रय	4	16.00
3	कम्प्यूटर, प्रिन्टर सहित	3	2.35

राज्य में आरा मशीन की स्थिति

राज्य में विभिन्न वन वृत्तों में कुल 1420 आरा मशीनें पंजीकृत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरा मशीनों के संबंध में दिये गये अंतरिम निर्णय के प्रकाश में, राज्य में किसी भी नये आरा मशीन का वर्ष 1997 के पश्चात् से अनुज्ञप्ति जारी नही की गई है।

अनुक्रमांक	वृत्त का नाम	आरा मशीनों की संख्या
1	रायपुर	519
2	दुर्ग	394
3	कांकेर	18
4	जगदलपुर	61
5	बिलासपुर	363
6	सरगुजा	65
	योग	1420

दिनांक 30 जून 2004 तक पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों की समाप्ति

मंत्री परिषद बैठक दिनांक 14/10/2005 द्वारा जनहित में लिये गये निर्णय के तहत भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अन्तर्गत 30/06/2004 तक के छोटे–छोटे वन अपराध पंजीकृत 2,06,050 प्रकरणों में अधिरोपित मावजा/महसूल की राशि 12,76,61,625/– को अपलेखन करते हुए वन अपराध प्रकरणों को समाप्त किया गया।

वन भूमि अतिक्रमण व्यवस्थापन :–

छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31/12/1976 तक एवं दिनांक 01/01/1977 से 06/03/1979 तक के पात्र 17746 एवं 34107 कुल 51853 अतिकामकों के व्यवस्थापन हेतु कुल 97766.381 हे. क्षेत्र के विरूद्ध 97774.000 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण पूर्ण कर लिए गए है।

दिनांक 07/03/1979 से दिनांक 24/10/1980 तक के अतिकामकों को जिन्हे भारत सरकार द्वारा अमान्य कर दिया गया था, उनके संबंध में पुनः विचार हेतु छ.ग.शासन, वन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 191 दिनांक

23/02/2004 के द्वारा भारत सरकार को लेख किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर भी की गई है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रकरण :–

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य निर्माण उपरांत 6 वर्ष की अल्प अवधि में कुल 127 (सिचाई 37, खनिज 40, विद्युत 17, खनिज पूर्वेक्षण 20 एवं अन्य विविध 13) परियोजनाओं की केन्द्र शासन GOI (MoEF) से स्वीकृति प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत दिसम्बर,2006 की स्थिति में कुल 278 परियोजनाओं के वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव विभिन्न स्तर पर लंबित है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क.	श्रेणी विवरण	संख्या
1	सिंचाई	**80**
2	खनिज	**93**
3	पूर्वेक्षण	**16**
4	विद्युत	**37**
5	विविध अन्य	**52**
	:: योग ::	**278**

वनग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन :—

छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 425 वनग्रामों में से 420 वनग्रामों (5 वनग्राम वीरान) को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/04/2002 एवं दिनांक 14/04/2002 को प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में भारत के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग कवर्धा, कांकेर, दंतेवाड़ा बस्तर एवं कोरिया जिलों का निरीक्षण का कार्य किया गया है, एवं शेष जिलो के स्थल निरीक्षण हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को लेख किया गया। इस संबंध में दिनांक 30/01/2004 को वन सलहाकार समिति के समक्ष प्रकरण को विचार हेतु रखा गया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है।

वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं विदोहन के लिए केंद्र शासन से अनुमोदित कार्य आयोजना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में 5 कार्य आयोजना इकाईयां वर्तमान में कार्यरत हैं। कुल 32 वनमण्डलों में से 27 वनमण्डलों की कार्य आयोजना भारत सरकार से अनुमोदित है।

वर्तमान में कार्यरत् 5 कार्य आयोजना इकाईयों द्वारा 9 वनमण्डलों की कार्य आयोजना का पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है। ये वनमण्डल हैं :—

1. रायगढ़, 2. धरमजयगढ़, 3. सुकमा, 4. दंतेवाड़ा, 5. उत्तर सरगुजा, 6. दुर्ग, 7. राजनांदगांव, 8. खैरागढ़, 9. कांकेर।

वनों के विकास एवं उसकी रक्षा के साथ पर्यावरण के अध्ययन की दृष्टि से प्रदेश में वन अनुसंधान विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु एक राज्य स्तरीय "छ0ग0 राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना रायपुर में किया जाना है। वन अनुसंधान को बजट में उचित प्राथमिकता देने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2006—07 में संस्थान की स्थापना के लिए रू0 50 लाख बजट प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 मार्च 2006 को रायपुर—बलौदाबाजार मार्ग पर विधान सभा भवन के समीप बरौड़ा क्षेत्र में संस्थान के भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया।

राज्य में वन प्राणियो के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभयारण्य एवं गेम सैंक्चुरी है, जिनका कुल क्षेत्रफल 8022.985 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.82 प्रतिशत तथा वन क्षेत्रफल

का 13.42 प्रतिशत है। गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (पूर्ववर्ती म.प्र. के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के सरगुजा / कोरिया जिले में आने वाले क्षेंत्रो को मिलाकर) एवं भोरमदेव अभ्यारण्य की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् हुई है।

1. राष्ट्रीय उद्यान :

क	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.
1.	इन्द्रावती	दन्तेवाड़ा	बीजापुर	जगदलपुर	1258.372
2.	कांगेर घाटी	बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	200.00
3.	गरूघासी दास	सरगुजा/कोरिया	बैकुण्ठपुर	सरगुजा	1440.705
	योग				**2899.077**

2. अभ्यारण्य :

क	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.
1.	अचानकमार	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	551.552
2.	बादलखोल	जशपुर	जशपुर	सरगुजा	104.454
3.	गोमार्डा	रायगढ़	रायगढ़	बिलासपुर	277.820
4.	बारनवापारा	रायपुर	रायपुर	रायपुर	244.660
5.	उदन्ती	रायपुर	रायपुर	रायपुर	247.590
6.	सीतानदी	धमतरी	धमतरी	रायपुर	553.360
7.	तमोरपिंगला	सरगुजा	उत्तर सरगुजा	सरगुजा	608.527
8.	सेमरसोत	सरगुजा	पूर्व सरगुजा	सरगुजा	430.361
9.	भैंरमगढ़	दंतेवाड़ा	बीजापुर	जगदलपुर	138.950
10.	पामेड़	दंतेवाडा	बीजापुर	जगदलपुर	262.120
11.	भोरमदेव	कवर्धा	कवर्धा	दुर्ग	163.800
	योग				**3583.194**

3. गेम सैंक्चुरी :

कं	सैंक्चुरी	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	वृत्त का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1.	कुटरू गेम सैक्चुरी	दंतेवाड़ा	बीजापुर	जगदलपुर	1540.714

4. <u>प्रोजेक्ट टायगर :</u>

इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बीजापुर केन्द्र शासन की प्रोजेक्ट टाइगर योजनान्तर्गत वर्ष 1982 से सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अचानकमार, उदन्ती एवं सीतानदी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टायगर योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति केन्द्र शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.08.06 को दी गई है।

राज्य में मुख्य वन्य प्राणियों के आंकलन वर्ष 2005 के आंकडे निम्नानुसार है :-

क्रं.	वन्यपशु का नाम	वर्ष 2005
1	शेर	200
2	तेन्दुआ	1293
3	चीतल	23044
4	सांभर	3305
5	कोटरी	19203
6	नीलगाय	4197
7	गौर	2698
8	जंगली भैंसा	121

जंगली हाथियो की समस्या :

वर्ष 2000 से लगातार हाथियों के अलग–अलग विभिन्न समूहों में बंटकर छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, धर्मजयगढ़ कोरबा एवं कटघोरा वनमंडलों में विचरण करते आ रहे हैं तथा इनके द्वारा जनहानि/फसल सम्पत्ति हानि भारी मात्रा में हो रही हैं। जिसके कारण राज्य शासन को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपये से अधिक भुगतान करना पडता हैं।

वन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को एलीफेंट प्रोजेक्ट में सम्मिलित करते हुए विकास कार्यो हेतु बजट उपलब्ध करने के लिए 4302.25 लाख का प्रस्ताव डायरेक्टर (प्रोजेक्ट एलीफेन्ट) भारत शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। केन्द्र शासन द्वारा एलीफेन्ट प्रोजेक्ट योजना से वर्ष 2006–07 के लिये रू. 64 लाख की स्वीकृति देते हुए रू. 45 लाख की राशि विमुक्त की गई है।

5. वन्यजीवों से पहुंचने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति :

राज्य शासन द्वारा हिंसक वन्यप्राणियों शेर, तेन्दुआ, भालू, लकडबग्घा, भेड़िया, जंगली सुअर, गौर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल, वन भैंसा एवं सियार द्वारा पशुओं एवं मनुष्यों को क्षति पहुंचाये जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :–

क्रं.	विवरण	सहायता/क्षतिपूर्ति राशि
1.	जनहानि	रू. 1,00,000 /– (एक लाख रूपये)
2.	स्थायी रूप से अपंग होने पर	रू. 20,000 /– (बीस हजार रूपये)
3.	जनघायल	रू. 7,500/– (की अधिकतम सीमा तक)
4.	पशुहानि	रू. 7,500/– (की अधिकत्तम सीमा तक)

6. वन्यजीवों से पहुंचने वाली फसलों एवं सम्पत्ति की क्षति की क्षतिपूर्ति :

जंगली हाथियों, जंगली सुअर, नीलगाय एवं बनैली गायों द्वारा किसानों की फसलों या घरों को पहुंचाई जाने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति संबंधित क्षेत्र के पटवारी, वनपाल/वनरक्षक, सरपंच एवं वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष की समिति से क्षति का आंकलन कराकर भुगतान करने के प्रावधान है। क्षति के आंकलन में राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से फसलों को पहुंचने वाली क्षति से संबंधित दरों का उपयोग किया जाता है।

सम्पत्ति/फसल हानि क्षतिपूर्ति भुगतान राशि का विवरण

अनु. क्रं.	वर्ष	प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति राशि
1.	2004–05	3823	9195020
2.	2005–06	6043	10498167
योग		**98266**	**19693187**

<u>विदोहन :–</u>

छत्तीसगढ. राज्य में विभिन्न वनमंडलों के स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक काष्ठ एवं बांस कूपों के विदोहन से वर्ष 2005–06 में जून 2006 तक वृत्तवार निम्नानुसार उत्पादन हुआ –

वर्ष 2005–06 का उत्पादन

अनु.	वृत्त का नाम	बांस (नो. टन में)		काष्ठ	जलाऊ चट्टे
		औद्योगिक	व्यापारिक	(घन मी. में)	(नग में)
1	रायपुर	1793	629	28482	46092
2	बिलासपुर	809	1536	23617	24852
3	कांकेर	5914	7730	26399	24136
4	जगदलपुर	3036	4239	18855	11279
5	सरगुजा	0	0	12495	8251
6	दुर्ग	1693	2077	3760	22604
	योग	13245	16211	113608	137214

काष्ठ एवं बांस के निर्वर्तन हेतु प्रदेश के विभिन्न वनमंडलों में [illegible] काष्ठागार एवं 11 बांसागार स्थापित हैं। इन आयगारों में काष्ठ/बांस का निर्वर्तन घोष विक्रय द्वारा किया जाता है जबकि औद्योगिक बांस का निर्वर्तन अग्रिम निविदा आमंत्रित कर किया जाता है। विदोहन वर्ष 2006–07 में काष्ठ एवं बांस विदोहन का लक्ष्य वृत्तवार निम्नानुसार निर्धारित है–

वर्ष 2006–07 का लक्ष्य

अनु.	वृत्त का नाम	बांस (नो. टन में)		काष्ठ	जलाऊ चट्टे
		औद्योगिक	व्यापारिक	(घन मी. में)	(नग में)
1	रायपुर	1000	390	42124	64251
2	बिलासपुर	4143	1011	25889	36912
3	कांकेर	9052	8779	15254	19260
4	जगदलपुर	7000	5122	26132	17674
5	सरगुजा	0	0	22113	29215
6	दुर्ग	31770	11300	9302	17765
	योग	**52965**	**26602**	**140814**	**185077**

<u>निस्तार व्यवस्था –</u>

प्रदेश में निस्तार नीति के अंतर्गत वन क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित ग्रामवासियों को निस्तार दर पर वनोपज उपलब्ध कराया जाता है जबकि इस परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को बाजार दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नीति के अंतर्गत निम्नानुसार कैलेण्डर वर्ष 2006 में निस्तारियों को 30 जून 2006 की स्थिति में वृत्तवार वनोपज उपलब्ध कराया गया–

अनु.	वृत्त का नाम	बांस		बल्ली		जलाऊ चट्टे	
		लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय
1	रायपुर	2654000	1530748	32600	22143	18774	16320
2	बिलासपुर	614100	262259	12075	7683	1610	799
3	कांकेर	1826300	600818	33550	14226	2159	636
4	जगदलपुर	523000	159312	18050	8366	8152	7261
5	सरगुजा	9295300	2841976	146100	59776	32835	25227
6	दुर्ग	3586600	288839	12625	1534	873	113
	योग	18499300	5683952	255000	113728	64403	50356

बंसोड़ों को बांस प्रदाय—

शासन द्वारा बंसोड़ों को प्रति वर्ष 1500 नग बांस रॉयल्टी मुक्त प्रदान किये जाने का प्रावधान है। पान बरेजा परिवारों को प्रति वर्ष 1000 बांस बिना रॉयल्टी लिये डिपो से उपलब्ध कराने की नीति है। वर्ष 2006 में 5227 पंजीकृत बंसोड़ों के लिए 3557665 नग बांस प्रदाय का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से माह जून 2006 तक कुल 1800105 नग बांस प्रदाय किया गया है जिसका वृत्तवार विवरण निम्नानुसार है :—

अनु.	वृत्त का नाम	बांस (नग में)	
		लक्ष्य	प्रदाय
1	रायपुर	225900	12,74,633
2	बिलासपुर	322100	1,95,935
3	कांकेर	184165	1,07,591
4	जगदलपुर	0	0
5	सरगुजा	0	0
6	दुर्ग	2825500	2,21,946
	योग	**3557665**	**1800105**